



सी.एस.आई.आर.-केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद)
सेक्टर 10, जानकीपुरम विस्तार, सीतापुर रोड, लखनऊ - 226 031 (भारत)
CSIR - Central Drug Research Institute
(Council of Scientific & Industrial Research)
Sector 10, Janakipuram Extension, Sitapur Road, Lucknow - 226 031 (India)



विज्ञापन संख्या. सीएसआईआर-सीडीआरआई/01/2026

'हिन्दी अधिकारी और मल्टी टास्किंग स्टाफ भर्ती-2026' के लिए एक्सेस लिंक - <https://cdri.res.in>

हिन्दी अधिकारी और मल्टी टास्किंग स्टाफ पद के लिए	सोमवार, 12 जनवरी, 2026, पूर्वाह्न 10:00 बजे
ऑनलाइन आवेदन फार्म जमा करने तथा डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड/ नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन शुल्क (ऑनलाइन) भुगतान करने की प्रारंभ तिथि एवं समय	
ऑनलाइन आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि और समय (तत्पश्चात वेबसाइट लिंक निष्क्रिय कर दिया जाएगा)	सोमवार, 16 फरवरी, 2026, अपराह्न 05:30 बजे

आवेदन की हार्ड कॉपी सीएसआईआर-सीडीआरआई को नहीं भेजी जाए

सीएसआईआर-केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त निकाय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), नई दिल्ली के अंतर्गत एक घटक प्रयोगशाला है। यह देश में एक अद्वितीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान है, जिसमें मौलिक, रासायनिक और जैव चिकित्सा अनुसंधान से प्रेरित नई औषधि खोज और विकास के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना है। पिछले 70 वर्षों से संस्थान राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के क्षेत्रों में चिकित्सा जीव विज्ञान की समझ को आगे बढ़ाने में समृद्ध योगदान दे रहा है तथा भारतीय फार्मा क्षेत्र में क्रांति लाया है। आगामी वर्षों में, संस्थान का ध्यान देश की पूरी न की गई चिकित्सीय जरूरतों और साथ ही गैरवहनीय चिकित्सा आवश्यकताओं पर केंद्रित होगा, जिसमें फिर से उभरने वाले परजीवी और संक्रामक रोग, बदलती जीवनशैली के कारण उत्पन्न रोग से जूझ रही भारतीय आबादी, उम्र बढ़ने से संबंधित रोग भी शामिल हैं।

सीएसआईआर-सीडीआरआई/भारत सरकार एक ऐसा कार्यबल बनाने का प्रयास करती है जो लैंगिक संतुलन को दर्शाता है और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

1. रिक्त पद का विवरण।

संस्थान सीधी भर्ती के आधार पर हिन्दी अधिकारी और मल्टी टास्किंग स्टाफ के निम्नलिखित रिक्त पदों के लिए पात्र, उपयुक्त रूप से योग्य, गतिशील और समर्पित भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है:

पद कोड	पद का नाम	वर्गीकरण एवं वेतन स्तर/वेतन मैट्रिक्स एवं कुल परिलब्धियां (रु .)	**ऊपरी आयु सीमा (ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात 16.02.2026 तक) से अधिक नहीं
पद कोड - क	हिन्दी अधिकारी	ग्रुप ए (राजपत्रित) पे लेवल - 10, सेल - 1 (पे स्केल - रु.56100-177500/-) कुल रू. 97,452/- (लगभग)	35 वर्ष (मौजूदा नियमों के अनुसार आयु में छूट)
पद कोड - ख	मल्टी टास्किंग स्टाफ	गैर-तकनीकी ग्रुप 'सी' पे लेवल - 1, सेल - 1 (पे स्केल - रु.18000-56900/-) कुल रू. 35,393/- (लगभग)	25 वर्ष (मौजूदा नियमों के अनुसार आयु में छूट)

* न्यूनतम वेतनस्तर के अनुमानित कुल परिलब्धियां में , 'Y वर्ग' के शहरों में लागू मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू महंगाई भत्ता शामिल है।

** कृपया आयु छूट के लिए छूट कॉलम के अंतर्गत देखें।

संक्षेपण : एससी : अनुसूचित जाति; एसटी: अनुसूचित जनजाति, ओबीसी : अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग; यूआर : अनारक्षित और पीडब्ल्यूबीडी : बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति ।

2. आवश्यक शैक्षिक योग्यता, वांछनीय योग्यता और नौकरी के लिए आवश्यकताएँ आदि का विवरण।

क - पोस्ट कोड-क (हिन्दी अधिकारी) के लिए

आवश्यक शैक्षिक योग्यता	वांछनीय योग्यता	नौकरी के लिए आवश्यकताएँ
<p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातोकोत्तर एवं स्नातक स्तर पर अंग्रेज़ी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो या परीक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी हो; या</p> <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेज़ी में स्नातोकोत्तर एवं स्नातक स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो या परीक्षा का माध्यम हिंदी हो; या</p> <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेज़ी के अलावा किसी अन्य विषय में हिन्दी माध्यम के साथ स्नातोकोत्तर एवं स्नातक स्तर पर अंग्रेज़ी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा का माध्यम हो; या</p> <p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेज़ी के अलावा किसी अन्य विषय में अंग्रेज़ी माध्यम के साथ स्नातोकोत्तर एवं स्नातक स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा का माध्यम हो; या</p>	<p>(क) संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं स्तर पर अध्ययन किया हो।</p> <p>(ख) प्रशासनिक अनुभव (</p> <p>(ग) टिप्पण, आलेखन के लिए हिंदी कक्षाएं या कार्यशालाएं आयोजित करने का अनुभव।</p>	<p>हिंदी अधिकारी यथासंशोधित राजभाषा अधिनियम 1963, इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी नियमों और आदेशों के अनुरूप सीएसआईआर में केंद्र सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अलावा, अन्य कोई भी कार्य जो उच्च अधिकारी द्वारा सौंपा जा सकता है।</p>
<p>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेज़ी के अलावा किसी अन्य विषय में स्नातोकोत्तर एवं स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी और अंग्रेज़ी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम हो एवं दूसरा स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो। और</p>		
<p>(ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त निकाय या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों में हिंदी में शब्दावली के उपयोग या प्रयोग और (शब्दावली कार्य) विशेष रूप से तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य का अंग्रेज़ी से हिंदी या इसके विपरीत अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव। या</p> <p>केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त निकाय या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थानों में हिंदी और अंग्रेज़ी में शिक्षण या हिंदी या अंग्रेज़ी में शोध के तीन वर्ष का अनुभव।</p>		

ख – पद कोड-ख (मल्टी टास्किंग स्टाफ) के लिए।

एक मल्टी टास्किंग स्टाफ विभिन्न भूमिकाओं में विभिन्न कर्तव्यों का पालन करने वाला कर्मचारी होता है, जैसा कि भारत सरकार का मल्टी टास्किंग स्टाफ) कर्मचारी (तकनीकी-गैर)एमटीएस) फाइलिंग, डेटा एंट्री और कार्यालय की रख-रखाव जैसी विभिन्न प्रशासनिक और सहायक कार्यों को करता है। एक मल्टी टास्किंग व्यक्ति बहुमुखी होता है और कई जिम्मेदारियों को संभाल सकता है एवं अतिरिक्त कर्मचारी की आवश्यकता को कम कर सकता है।

आवश्यक शैक्षिक योग्यता	वांछनीय योग्यता	नौकरी के लिए आवश्यकताएँ
मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष उत्तीर्ण या आईटीआई उत्तीर्ण * पोस्ट की विशेष* आवश्यकताओं के अनुसार, यदि कोई हो, अपनाया जा सकता है।	इंटरमीडिएट)12वीं कक्षाउत्तीर्ण (<u>मल्टीके कर्तव्य (एमटीएस) टास्किंग स्टाफ-</u> <ol style="list-style-type: none"> <u>कार्यालय का रखरखाव एवं सहायता करना।</u> <ul style="list-style-type: none"> कार्यालय के रिकॉर्ड, फ़ाइलों और रजिस्ट्रों का भौतिक रखरखाव। कार्यालय परिसर की सामान्य सफाई एवं देखभाल करना। कार्यालय में फर्नीचर, उपकरण, या सामग्री व्यवस्थित करने में सहायता करना। समय पर कार्यालय खुलना और बंद करना सुनिश्चित करना। <u>फाइल और दस्तावेज़ संभालना</u> <ul style="list-style-type: none"> फाइलें, कागज़ और दस्तावेज़ एक विभाग/अनुभाग से दूसरे विभाग/अनुभाग ले जाना। फाइलिंग और रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया में सहायता करना। फोटोकॉपी करना, फैक्स भेजना, स्कैन करना और अन्य नियमित कार्यालयीन कार्य। <u>वितरण और पत्राचार</u> <ul style="list-style-type: none"> कार्यालय के भीतर और बाहर डाक)कार्यालयी मेल) का वितरण करना। निर्देशानुसार कार्यालयी पत्र, पार्सल और पत्राचार भेजना। रिसेप्शन क्षेत्र में सहायता करना और आवश्यक होने पर आगंतुकों की सेवा करना। <u>उपकरण और उपयोगिता कार्य</u> <ul style="list-style-type: none"> फोटोकॉपी मशीन या फैक्स मशीन जैसी साधारण कार्यालयी मशीनों का संचालन करना। कार्यालय उपकरण के रखरखाव में सहायता करना। स्टेशनरी और आपूर्ति का सही उपयोग और भंडारण सुनिश्चित करना। <u>अधिकारियों और कर्मचारियों को सहायता</u> <ul style="list-style-type: none"> बैठकों या कार्यालय समय के दौरान पानी, चाय या जलपान परोसना। वरिष्ठ अधिकारियों को दिन प्रतिदिन के कार्यालय कार्यों में- निर्देशानुसार सहायता प्रदान करना। आधिकारिक बैठकों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों के आयोजन में मदद करना।

6. अन्य सौंपे गए कार्य

- वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य को करना जो एमटीएस के कर्तव्यों की सामान्य प्रकृति के अंतर्गत आता हो।

सामान्य कर्तव्य

- फ़ाइलिंग, फ़ोटोकॉपी और डेटा एंट्री
- रिकॉर्ड और डेटाबेस का रखरखाव और अद्यतन करना
- कार्यालय उपकरण और मशीनरी में सहायता करना
- मेल और दस्तावेज़ संभालना और वितरित करना
- सामान्य साफसफाई और रखरखाव-
- इमारत के भीतर फ़ाइलें ले जाना
- अन्य सौंपे जाने वाले अ-लिपिकीय कार्य

3- चयन का तरीका, परीक्षा की योजना, पाठ्यक्रम और अंकों का विवरण

क. पद कोड-क हिन्दी अधिकारी के लिए चयन प्रक्रिया

हिंदी अधिकारी के पद के लिए चयन लिखित परीक्षा एवं उसके उपरान्त गठित चयन समिति द्वारा आयोजित साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का प्रतिशत 75:25 होगा।

क. लिखित परीक्षा के लिए अधिकतम समय 2 घंटे होंगे। और अधिकतम अंक 300 होंगे।

ख. साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक 100 होंगे।

ग. लिखित परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।

घ. परीक्षा का माध्यम हिंदी होगा।

ङ. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसके कुल अंकों में से 1/3 अंक काटे जाएंगे। यदि किसी प्रश्न के लिए कोई विकल्प नहीं चुना जाता है, तो इसके लिए कोई अंक काटे नहीं जाएंगे।

च. हिंदी अधिकारी के एक अनारक्षित वर्ग पद के लिए लिखित परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले और 50% न्यूनतम अंकों की पात्रता पूरी करने वाले अधिकतम 12 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जो लखनऊ में आयोजित किया जाएगा।

परीक्षा का पाठ्यक्रम

1. संध की राजभाषा नीति, संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रपति के आदेश-1960, राजभाषा संकल्प-1968 (राजभाषा अधिनियम, नियम एवं वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम)
2. राजभाषा हिन्दी के संवर्धन हेतु कार्यरत सरकारी संस्थाएँ समितियाँ एवं योजनाएं
3. राष्ट्रभाषा और राजभाषा
4. हिन्दी भाषा एवं साहित्य का विकास
5. हिन्दी के प्रमुख साहित्यकार एवं कृतियाँ
6. हिन्दी साहित्य की आधुनिक प्रवृत्तियाँ/विमर्श
7. देवनागरी लिपि की इतिहास एवं विकास
8. हिन्दी भाषा एवं साहित्य के विकास में देवनागरी लिपि एवं अनुवाद का योगदान
9. वाक्य संरचना, व्याकरण एवं वर्तनी
10. हिन्दी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद, वाक्यांश/पारिभाषिक शब्दावली
11. वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रकृति के अनुवाद और शब्दावली
12. हिन्दी से संबंधित आईटी टूल्स
13. इ गवर्नेंस में हिन्दी
14. हिन्दी संबंधी सामान्य ज्ञान

ख. पद कोड-ख मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया

सभी आवश्यक योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को निदेशक, सीएसआईआर-सीडीआरआई द्वारा गठित चयन समिति के अनुशंसा के अनुसार ट्रेड परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। चयन समिति ट्रेड परीक्षा के प्रक्रिया का निर्धारण करेगी एवं उसे आयोजित भी करेगी। चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा।

ट्रेड परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम मेधा सूची प्रतियोगी लिखित परीक्षा (सीडब्ल्यूई) में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी।

प्रतियोगी लिखित परीक्षा (सीडब्ल्यूई) में एक पेपर होगा और अंतिम मेधा सूची उम्मीदवारों द्वारा इस पेपर में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद के लिए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम:-

परीक्षा का तरीका	ओएमआर आधारित या कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार का बहुविकल्पीय परीक्षा
प्रश्नों का माध्यम	अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पूछे जाएंगे।
परीक्षा का स्तर	कक्षा X
प्रश्नों की कुल संख्या	150
कुल आवंटित समय	2 घंटे

विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	नकारात्मक अंक
सामान्य बुद्धिमता	25	75 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए 03 अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 01 अंक काटे जाएंगे
अभिरूचि क्षमता	25	75 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए 03 अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 01 अंक काटे जाएंगे
सामान्य जागरूकता	50	150 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए 03 अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 01 अंक काटे जाएंगे
अंग्रेजी भाषा	50	150 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए 03 अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 01 अंक काटे जाएंगे

4. आवेदन शुल्क

अनारक्षित(यूआर), अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	500/-
महिला/एससी/एसटी/ पीडब्ल्यूबीडी /भूतपूर्व सैनिक/सीएसआईआर विभागीय उम्मीदवार	शून्य

5. आयु सीमा एवं छूट (ऊपरी आयु सीमा में छूट) :

क्रम सं.	वर्ग	ऊपरी आयु सीमा से परे आयु में छूट स्वीकार्य है
I.	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (एससी/ एसटी)	5 वर्ष (जहां पद/रिक्तियां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं)
II.	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)	3 वर्ष (जहां पद/रिक्तियां ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हैं)
III.	पीडब्ल्यूबीडी (अनारक्षित)	10 वर्ष
IV.	पीडब्ल्यूबीडी (एससी/एसटी)	15 वर्ष (जहां पद/रिक्तियां अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं)
V.	पीडब्ल्यूबीडी (ओबीसी)	13 वर्ष (जहां पद/रिक्तियां ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हैं)
VI.	भूतपूर्व सैनिक	आवेदन करने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से की गई वास्तविक सैन्य सेवा की कटौती के 3 वर्ष बाद
VII.	विधवा	धारा 5 (ई) के अनुसार
VIII.	सीएसआईआर विभागीय उम्मीदवार/ केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ स्वायत्त निकायों में कार्यरत उम्मीदवार / सामान्य (ओबीसी / ईडब्ल्यूएस	40 वर्ष
IX.	सीएसआईआर विभागीय उम्मीदवार/ केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ स्वायत्त निकायों में कार्यरत उम्मीदवार) एससी / एसटी(45 वर्ष
X.	अन्य कोई आयु में छूट	भारत सरकार / डीओपीटी / सीएसआईआर भर्ती नियम के अनुसार

क. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक आवेदन करने हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।

ख. एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवार जो उनके लिए आरक्षित पद नहीं है अर्थात अनारक्षित (यूआर) पदों के लिए आवेदन करते हैं, तो वह आयु में छूट के पात्र नहीं होंगे और उनके चयन के स्थिति में उन्हें सामान्य उम्मीदवारों के बराबर माना जाएगा [हालांकि, ऐसे मामलों में एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क में छूट लागू है]।

ग. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/आर्थिक रूप से कमजोर/भूतपूर्व सैनिकों की आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में अपने प्रमाण पत्र **(संलग्न)** की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करनी होगी जो केंद्र सरकार के तहत पदों की नियुक्ति के लिए मान्य निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो। इसके अलावा, ओबीसी उम्मीदवारों को **अनुलग्नक** के अनुसार एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी ।

घ. भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अपने पति से न्यायिक रूप से अलग रह रही महिलाओं, जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, के लिए ऊपरी आयु सीमा में 35 वर्ष की आयु तक छूट दी जा सकती है, लेकिन शैक्षिक योग्यता या भर्ती प्रक्रिया में कोई छूट नहीं दी जाएगी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के संबंध में 40 वर्ष तक)। हालांकि आयु में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे:

i. विधवा के मामले में, उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा यह शपथ पत्र कि उसने बाद से पुनर्विवाह नहीं किया है।

ii. तलाकशुदा महिलाओं और अपने पति से न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाओं के मामले में, तलाक या न्यायिक अलगाव (जैसा भी मामला हो) के तथ्य को साबित करने के लिए उचित न्यायालय के निर्णय /आदेश की एक प्रमाणित प्रति के साथ तलाकशुदा महिलाओं की स्थिति में एक शपथ पत्र कि उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है।

ड. आयु, योग्यता, ओबीसी/एससी/ईडब्ल्यूएस/ पीडब्ल्यूबीडी वर्ग का दावा या कोई अन्य लाभ जैसे शुल्क रियायत, आरक्षण, आयु में छूट आदि के निर्धारण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि, जहां अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात 16 फरवरी, 2026 होगी।

च. उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उपरोक्त के संबंध में, उनकी उम्मीदवारी तब तक अनंतिम रहेगी जब तक कि संबंधित दस्तावेज की सत्यता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं हो जाती। उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे धोखाधड़ी से ओबीसी/एससी/ईडब्ल्यूएस/ईएसएम/ पीडब्ल्यूबीडी वर्ग का दावा करते हैं या कोई अन्य लाभ प्राप्त करते हैं तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

छ. ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट (एससी के लिए 15 वर्ष और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 13 वर्ष) उन व्यक्तियों को दी जाएगी जो (क) अंधेपन या कम दृष्टि से पीड़ित (ख) बधिर और सुनने में कठिनाई (ग) लोको मोटर विकलांगता या सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से ठीक हुए, बौनेपन, एसिड अटैक के शिकार और मांसपेशीय दुर्विकास (घ) ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी और (ई) बहरे अंधेपन सहित खंड (क) से (घ) के अंतर्गत एकाधिक विकलांगताएं वाले व्यक्तियों के लिए इस शर्त के अधीन हैं कि निर्णायक तिथि को आवेदक की अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं है। बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को आयु में रियायत इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना स्वीकार्य होगी कि पद विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित है या नहीं, बशर्ते पद को विकलांगता की उक्त श्रेणी के लिए उपयुक्त दर्शाया गया हो। आयु सीमा में छूट ऐसे व्यक्तियों के लिए स्वीकार्य होगी जिनकी न्यूनतम विकलांगता **40%** है।

ज. रंगीन फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के साथ स्कैन किए गए संबंधित दस्तावेज/प्रमाणपत्र/साक्ष्य अपलोड करने होंगे। इसके अलावा, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, यदि लागू हो। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवारों द्वारा दिए गए सभी विवरण संबंधित दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों/ साक्ष्यों से मेल खाते हैं।

झ. भारत सरकार के तहत पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए । भारत सरकार द्वारा निर्धारित पदों पर नियुक्ति के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र, गैर-क्रीमी लेयर मानदंडों को भी पूरा करना चाहिए, न कि संघ के किसी भी राज्य में नियुक्ति के लिए, जिसमें उन राज्य सरकारों के आदेशों का संदर्भ हो।

ञ. ओबीसी उम्मीदवारों के लिए पात्रता भारत सरकार की केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध जातियों के आधार पर होगी, और उनकी उपजाति इस सूची में प्रविष्टियों से मेल खानी चाहिए; अन्यथा, उनकी उम्मीदवारी किसी भी आरक्षित श्रेणी के तहत नहीं मानी जाएगी और अन्यथा पात्र होने पर उन्हें अनारक्षित (यूआर) माना जाएगा। "क्रीमी लेयर" के ओबीसी उम्मीदवार, ओबीसी श्रेणी के लिए उपलब्ध रियायतों के हकदार नहीं हैं और उन्हें अपनी श्रेणी सामान्य के रूप में दर्शानी होगी।

ट. ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) को अपने दावे के समर्थन में एक अतिरिक्त 'घोषणा पत्र' प्रस्तुत करना आवश्यक है कि वे तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों की आय के आधार पर ओबीसी (क्रीमी लेयर) श्रेणी में नहीं हैं।

6. लिखित परीक्षा का केन्द्र

क. लिखित परीक्षा लखनऊ में आयोजित की जाएगी

ख. लिखित परीक्षा की तारीख, समय और स्थान की सूचना उम्मीदवारों को समय रहते सीएसआईआर-सीडीआरआई की वेबसाइट तथा उनके द्वारा आवेदन पत्र में प्रदान किए गए ईमेल आईडी के माध्यम से दी जाएगी।

ग. परीक्षा के केंद्रसेशन में बदलाव के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।/तारीख/स्थान/

घ. उम्मीदवार अपनी जोखिम और खर्च पर परीक्षा में उपस्थित होंगे और किसी भी प्रकार की चोट या क्षति के लिए सीएसआईआर जिम्मेदार नहीं होगा।

7- बराबर अंक के मामलों के समाधान के लिए कार्यप्रणाली

लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के अंकों में समानता की स्थिति में, मेधा सीएसआईआर के दिनांक 30.05.2023 के परिपत्र पत्र संख्या 5-1 (211) / 2014-पीडी के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

8- नियम एवं शर्तें

(8.1) परिषद सेवा के अंतर्गत लाभ:

(क) उपर्युक्त पदों के लिए वेतन और भत्ते, जैसे मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता आदि, जैसा कि केंद्र सरकार की दरों पर परिषद के कर्मचारियों के लिए उनकी तैनाती के स्थान पर लागू है और जैसा कि परिषद के लखनऊ (वर्ग 'वाई' शहर) में तैनात कर्मचारियों के लिए लागू है, शामिल है।। इसके अलावा, सीएसआईआर के नियमों के अनुसार अन्य लाभ जैसे कि छुट्टी यात्रा रियायत और चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति और बच्चों की शिक्षा भत्ते आदि भी उपलब्ध हैं। उपलब्धता के आधार पर सीएसआईआर आवंटन नियमों के अनुसार आवास प्रदान किया जाएगा तथा इस स्थिति में मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।

(ग) सभी नए प्रवेशक के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दिनांक 01.01.2004 से लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा सीएसआईआर द्वारा दिनांक 23.12.2003 के पत्र संख्या 17/68/2001- ई.॥ तथा इस विषय पर जारी अन्य अनुदेशों के माध्यम से इसे अपनाया गया है, लागू होगी। हालांकि, भारत सरकार के पैटर्न पर पेंशन योजना वाले अन्य सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक/क्षेत्र के उपक्रमों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों से चुने गए व्यक्ति मौजूदा पेंशन योजना यानी सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियमों के अनुसार शासित होते रहेंगे।

(8.2) सामान्य शर्तें और सूचना:

क. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

ख. निर्धारित आवश्यक योग्यताएं न्यूनतम हैं और मात्र उनके होने से उम्मीदवारों को कौशल परीक्षण/लिखित परीक्षा/नियुक्ति के लिए बुलाए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में पहले या बाद में सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी उसी समय रद्द कर दी जाएगी।

ग. पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन के तरीके से संबंधित सभी मामलों में सीएसआईआर-सीडीआरआई का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी भी उम्मीदवार या उसकी एजेंसी से कोई पूछताछ या पत्राचार नहीं किया जाएगा।

- घ. जो आवेदक सरकारी विभाग स्वायत्त निकायों में / पीएसयू / कार्यरत हैं, उन्हें एक प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा जिसमें यह वर्णित हो कि उनके विभाग को उनकी इस पद के लिए आवेदन करने में कोई आपत्ति नहीं है और यदि उनका चयन होता है, तो नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के एक महीने के भीतर उन्हें कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। यह प्रमाण पत्र उनके वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त करना होगा ताकि 'सही माध्यम से आवेदन' विचार किया जाएगा। या निर्दिष्ट प्रमाण पत्र, सतर्कता मंजूरी एवं अन्य दस्तावेजों के साथ पूरी तरह से भरी हुई ऑनलाइन आवेदन की प्रति अपने नियोक्ता के माध्यम से इसे सीएसआईआरसीडीआरआई-, सेक्टर-10, जनकिपुरम एक्सटेंशन, लखनऊ -226031 को यथाशीघ्र भेजना होगा।
- ङ. सभी आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक विज्ञापन में निर्धारित पद की आवश्यक आवश्यकताओं और अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले स्वयं को संतुष्ट कर लें कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उनके पास पदों के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यताएं हैं। पात्रता के बारे में सलाह मांगने वाली किसी भी पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था/बोर्ड से प्राप्त की जानी चाहिए/सरकारी नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए और अंतिम परिणाम ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले घोषित किया जाना चाहिए।
- च. विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा सीजीपीए/एसजीपीए/ओजीपीए ग्रेड आदि प्रदान करने के मामले में, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने विश्वविद्यालय/संस्थान के अनुसार फार्मूले के आधार पर इसे प्रतिशत में परिवर्तित करें।
- छ. यदि कोई दस्तावेज/ प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो राजपत्रित अधिकारी या नॉटरी द्वारा विधिवत सत्यापित उसकी प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करनी होगी।
- ज. सभी आवेदकों से अनुरोध है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र जैसे जन्मतिथि प्रमाण (आयु प्रमाण के लिए मैट्रिकुलेशन के समकक्ष प्रमाण पत्र), आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि, यदि लागू हो, के मूल दस्तावेजों की स्कैन की गई पीडीएफ अपलोड करें, अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- झ. अनिवार्य योग्यता में समकक्षता के संबंध में, यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन में वर्णित आवश्यकता के अनुसार किसी विशेष योग्यता को समकक्ष योग्यता के रूप में दावा कर रहा है, तो अभ्यर्थी को इस संबंध में आदेश/पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उस प्राधिकार का उल्लेख हो (संख्या और तारीख के साथ) एवं जिसके तहत उसे समकक्ष योग्यता माना गया है, अन्यथा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- ञ. अधूरे आवेदन और आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदन अस्वीकार किए जा सकते हैं। आवेदन में दी गई जानकारी और मूल दस्तावेजों में दी गई जानकारी के बीच कोई भी विसंगति पाए जाने पर उम्मीदवार को पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- ट. यह जानकारी दी जाती है कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा वर्णित कोई घोषणा या सूचना झूठी पाई जाती है या यह पाया जाता है कि उसने जानबूझकर कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई है, तो उसकी अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है और/या उसे किसी भी स्तर पर सेवा में शामिल होने के बाद सेवा से हटाया जा सकता है, तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।
- ठ. ये पद स्थानीय हैं और नियुक्ति का स्थान सामान्यतः सीएसआईआर-सीडीआरआई, लखनऊ है। हालांकि, नियुक्त व्यक्तियों को कार्य की आवश्यकता के अनुसार सीएसआईआर की किसी भी प्रयोगशाला/संस्थान में नियुक्त किया जा सकता है।
- ड. यदि अभ्यर्थी सर्वर /किसी तकनीकी खराबी के कारण अंतिम समय पर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं कर पाते हैं, तो अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा

करने की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना पहले ही ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें। संस्थान का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी भी पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

- ढ. चूंकि आवेदनों की जांच आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर की जाएगी, इसलिए यह आवश्यक है कि आवेदक द्वारा केवल सटीक, पूर्ण और सही जानकारी ही दी जाए। गलत/झूठी जानकारी देना अयोग्यता माना जाएगा और सीएसआईआर-सीडीआरआई ऐसी गलत/झूठी जानकारी देने के किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- ण. ऊपरी आयु सीमा/अनुभव/योग्यता निर्धारित करने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् 16 फरवरी, 2026 होगी। किसी विषय/कार्य क्षेत्र में अनुभव की अवधि, जहां भी निर्धारित हो, उस पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने की तिथि के बाद गिनी जाएगी।
- त. हिंदी अधिकारी और मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद के लिए चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि की सफल समाप्ति के बाद, उन्हें मौजूदा नियमों के अनुसार स्थायी करने पर विचार किया जाएगा।
- थ. किसी भी रूप में पक्षपात करना और/या किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रभाव डालना या अन्यथा पद के लिए अयोग्य माना जाएगा।
- प. एक से अधिक पोस्ट कोड के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अलग-अलग ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार एक ही पोस्ट कोड के लिए अलग-अलग ईमेल आईडी के माध्यम से कई ऑनलाइन आवेदन करता है, तो केवल नवीनतम पूर्ण आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा और प्रत्येक पोस्ट कोड के लिए प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- फ. निदेशक, सीएसआईआर-सीडीआरआई बिना कोई कारण बताए विज्ञापन रद्द करने या पदों को न भरने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। प्रत्येक पद/श्रेणी के लिए दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या अस्थायी है और चयन प्रक्रिया के दौरान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यह विज्ञापन जरूरी नहीं कि वास्तव में चयन किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान किसी निश्चित समय पर प्रचलित सीएसआईआर निर्देशों के अधीन है।
- ब. पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन का तरीका और लिखित परीक्षा आयोजित करने तथा सभी या किसी भी पद को न भरने के सभी मामलों में निदेशक, सीएसआईआर-सीडीआरआई का निर्णय अंतिम होगा तथा उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। उम्मीदवारों की ओर से किसी भी व्यक्ति या एजेंसी से इस संबंध में कोई पूछताछ या पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी को अपने स्तर पर नियम और शर्तों को संशोधित करने, हटाने और जोड़ने का अधिकार है।
- भ. इस विज्ञापन में शामिल न किए गए किसी भी जानकारी के लिए सीएसआईआर के उचित निर्देश लागू होंगे।
- म. आवेदक को आवेदन पत्र में यह बताना होगा कि क्या उनका कोई नजदीकी रिश्तेदार सीएसआईआर-सीडीआरआई या सीएसआईआर या सीएसआईआर की किसी अन्य प्रयोगशाला/संस्थान का कर्मचारी है। नजदीकी रिश्तेदारों में पत्नी/पति/बेटा/बेटी/माता-पिता/भाई/बहन या रक्त या विवाह से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति शामिल होगा, चाहे वे आश्रित हों या नहीं।
- य. अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस श्रेणी/पद के लिए वह आवेदन कर रहा है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उसके पास उस श्रेणी/पद के लिए अपेक्षित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता/अनुभव है।

- र. आवेदन में दी गई जानकारी और मूल दस्तावेजों में दी गई जानकारी के बीच कोई भी विसंगति पाए जाने पर अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- ल. भारत सरकार/सीएसआईआर से समय-समय पर प्राप्त सभी प्रकार के आरक्षणों के अनुदेशों को इस विज्ञापन में लागू सीमा तक लागू किया जाएगा।
- व. लिखित परीक्षा का माध्यम एक बार चयन करने के बाद उसे बदला नहीं जा सकेगा।
- श. ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा भरी गई जन्मतिथि और मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा या उसके समकक्ष मार्कशीट/प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि को आयु निर्धारित करने के लिए स्वीकार किया जाएगा और बाद में परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि संबंधित शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र/मार्कशीट में जन्मतिथि वर्णित नहीं है, तो जन्मतिथि हेतु विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र पर विचार किया जाएगा।
- ष. भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- स. बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) केंद्र सरकार के कर्मचारी होने के कारण आयु में रियायत के हकदार हैं, उन्हें रियायत या तो 'बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति' के रूप में या 'केंद्र सरकार के कर्मचारी' जो भी उनके लिए अधिक फायदेमंद हो, के रूप में स्वीकार्य होगी।
- ह. इस विज्ञापन से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी जैसे परीक्षा की तिथि, समय और स्थान, परिशिष्ट/शुद्धिपत्र या पदों की संख्या में कोई परिवर्तन/पदों का रद्दीकरण आदि केवल सीएसआईआर-सीडीआरआई की वेबसाइट <https://www.cdri.res.in> के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि संस्थान की वेबसाइट <https://www.cdri.res.in> पर नियमित रूप से विजित करें।

9- आवेदन कैसे करे

- क. पात्र उम्मीदवारों को सीडीआरआई वेबसाइट <https://cdri.res.in> पर जाकर या सीडीआरआई वेबसाइट <https://cdri.res.in> पर उपलब्ध हिन्दी अधिकारी एवं मल्टी टास्किंग स्टाफ-2026 के एक्सेस लिंक से माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- ख. कृपया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए ऊपर उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापन सं. सीएसआईआर-सीडीआरआई/01/2026 में ऑनलाइन "आवेदन कैसे करें", "निर्देश", "शुल्क भुगतान प्रक्रिया" और आवेदन प्रतिकृति देखें।
- ग. यदि अभ्यर्थी के पास वैध ईमेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक नई वैध ईमेल आईडी बनानी होगी और पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान उसे सक्रिय रखना चाहिए।
- घ. आवेदन के उपर्युक्त चरणों की समय सीमा इस प्रकार है- :
1. ऑनलाइन आवेदन के लिए पंजीकरण :शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि/**12-01-2026**, पूर्वाह्न **10:00** बजे।
 2. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि :**16-02-2026**, अपराह्न **05:30** बजे।
- ङ. निम्नलिखित दस्तावेज़ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अपलोड किए जाने चाहिए सभी)मूल दस्तावेज़ का रंगीन स्कैन /नीले कलम से स्वप्रमाणित-):
- i. आवेदन शुल्क के रूप में 500/-, जहां लागू हो।
 - ii. जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता, अंक पत्र , भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेवा प्रमाण पत्र आदि के मूल प्रमाण पत्रों की रंगीन स्कैन/ नीले कलम से स्वप्रमाणित- प्रति।
 - iii. भारत सरकार के प्रारूप में मूल जाति प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, की रंगीन स्कैन/ नीले कलम से स्व-प्रमाणित-प प्रति।
 - iv. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल दिव्यांगता प्रमाण पत्र (पीडब्ल्यूबीडी), यदि लागू हो, की रंगीन स्कैन/ नीले कलम से स्वप्रमाणित-।
 - v. अर्जित उच्च योग्यता, अनुभव, यदि कोई हो, की मूल रंगीन स्कैन/ नीले कलम से स्वप्रमाणित-।

10 – ऑनलाइन आवेदन के लिए दिशानिर्देश

- क.** पात्र उम्मीदवारों को सीडीआरआई वेबसाइट <https://cdri.res.in> पर जाकर या सीडीआरआई वेबसाइट <https://cdri.res.in> पर उपलब्ध हिन्दी अधिकारी एवं मल्टी टास्किंग स्टाफ-2026 के एक्सेस लिंक से माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- ख.** किसी अन्य तरीके से किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ग.** उम्मीदवारों को वेबसाइट पर उपलब्ध 'शुल्क भुगतान प्रक्रिया' के अनुसार आवेदन शुल्क रुपये **500/-** का भुगतान करना होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग व्यक्तियों अन्य लिंग/महिला/पूर्व सैनिक/श्रेणीसीएसआईआर के कर्मचारियों के साथसाथ- सीएसआईआर के अस्थायी कर्मचारी आवेदन शुल्क जमा करने से मुक्त हैं।
- घ.** एक बार आवेदन करने के बाद उसे वापस लेने की अनुमति नहीं होगी और जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य भर्ती या चयन प्रक्रिया के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।
- ङ.** उम्मीदवारों को उनके हित में सलाही दी सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें ताकि अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अधिक लोड के कारण सीएसआईआर वेबसाइट में लॉगिन करने में विफलता/अक्षमता या न कर पाने की संभावना से बचा जा सके।
- च.** किसी भी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा नहीं किए जाने चाहिए। यदि कई आवेदन किए जाते हैं, तो केवल नवीनतम वैध आवेदन ही रखा जाएगा और अन्य कई पंजीकरणों के (पूरा किया गया) सूचना शुल्क जब्त कर दी जाएगी।/लिए भुगतान की गई आवेदन शुल्क
- छ.** जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा, इसे 'अस्थायी रूप से' स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवार को अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन फॉर्म की प्रिंटआउट लेना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की प्रिंटआउट सीएसआईआर-सीडीआरआई को भेजने की आवश्यकता नहीं है।

11- कदाचार/अनुचित साधनों के उपयोग के दोषी पाए जाने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई

अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे ऐसा कोई भी विवरण प्रस्तुत न करें जो झूठा, छेड़छाड़ किया हुआ या मनगढ़ंत हो तथा ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को न छिपाएं। परीक्षा, साक्षात्कार या बाद की चयन प्रक्रिया के समय, यदि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है (या पाया गया है) -

क. अनुचित साधनों का उपयोग करना, या

ख. किसी व्यक्ति द्वारा छद्म रूप धारण करना या छद्म रूप धारण करवाना, या

ग. परीक्षा/साक्षात्कार हॉल में दुर्व्यवहार करना या परीक्षण(ओं) की सामग्री या उसमें दी गई किसी भी जानकारी को किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक रूप से किसी भी उद्देश्य के लिए प्रकट करना, प्रकाशित करना, पुनरुत्पादित करना, प्रेषित करना, संग्रहीत करना या प्रेषित करने और संग्रहीत करने में सुविधा प्रदान करना, या

घ. अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित साधन का सहारा लेना, या

ङ. अपनी उम्मीदवारी के लिए अनुचित साधनों से सहायता प्राप्त करना, या

च.. परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन या इसी तरह के संचार उपकरण ले जाने वाले किसी भी उम्मीदवार को, निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, साथ ही वह आपराधिक अभियोजन के लिए स्वयं जिम्मेदार हो सकता है/हो सकती है:

(क) उस परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाना जिसके लिए वह उम्मीदवार है,

(ख) सीएसआईआर द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के लिए स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित किया जा सकता है,

(ग) यदि वह संस्थान में पदग्रहण कर लेता है तो भी सेवा समाप्ति की जा सकती है।

नोट:- इस विज्ञापन के अंग्रेजी संस्करण और इसके हिंदी अनुवाद के बीच विसंगति पाए जाने की स्थिति में, इस विज्ञापन का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। इस विज्ञापन के बारे में कोई भी अन्य जानकारी जैसे कि परीक्षा की तिथि, समय और स्थान, परिशिष्ट/शुद्धिपत्र या पदों की संख्या में कोई बदलाव/पदों का रद्द होना आदि केवल सीएसआईआर-सीडीआरआई की वेबसाइट: <https://www.cdri.res.in> के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संस्थान की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें। हालांकि इस विज्ञापन की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास किया गया है, फिर भी, सीएसआईआर-सीडीआरआई किसी भी अनजाने त्रुटियों या टाइपोग्राफिकल/प्रिंटिंग गलतियों को किसी भी चरण में सुधार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

अस्वीकरण

चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवार द्वारा गलत जानकारी देने और/या प्रक्रिया का उल्लंघन करने के मामले सामने आने पर उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसे भविष्य में किसी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में सीएसआईआर द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण/ निर्णय/दिए जाने वाले निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति और सभी पदों को भरने या किसी पद को भरने से संबंधित सभी मामलों में निदेशक, सीएसआईआर-सीडीआरआई का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

किसी भी अंतरिम पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक
coa@cdri.res.in
0522-2771960

अनुलग्नकों की सूची

क्र.सं.	अनुलग्नक संख्या	अनुलग्नकों का विवरण	पृष्ठ सं.
1.	अनुलग्नक-I	भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप	19-20
2.	अनुलग्नक-II	भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप	21
3.	अनुलग्नक-III	अन्य पिछड़ा वर्ग -नॉन क्रिमी लेयर द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप (जाति प्रमाण पत्र के अलावा)	22
4.	अनुलग्नक-IV	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र	23
5.	अनुलग्नक-IV	प्रारूप - V: दिव्यांगता प्रमाण पत्र	24
6.	अनुलग्नक-VI	प्रारूप-VI: दिव्यांगता प्रमाण पत्र	25-26
7.	अनुलग्नक-VII	प्रारूप-VII: दिव्यांगता प्रमाण पत्र	27-28
8.	अनुलग्नक-VIII	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत आने वाली विनिर्दिष्ट दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, अर्थात् 40 % से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, के लिए प्रमाणपत्र	29
9.	अनुलग्नक-IX	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए विशिष्ट दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, द्वारा वचनपत्र।	30
10.	अनुलग्नक-X	स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र	31
11.	अनुलग्नक-XI	परीक्षार्थी की लिखने संबंधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र	32
12.	अनुलग्नक-XII	सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए आयु में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु सेवा में मुक्त किए गए सशस्त्र बल/सेवानिवृत्त/कर्मियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र	33-35

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री*..... पुत्र/पुत्री*
..... गांव/शहर*..... जिला/मंडल*..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*..... की जाति/जनजाति* से संबंधित है जिसे निम्नलिखित के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है-

- @ संवैधानिक (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950
- @ संवैधानिक (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950
- @ संवैधानिक (अनुसूचित जातियाँ) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951
- @ संवैधानिक (अनुसूचित जनजातियाँ) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951

[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 तथा गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित।]

- @ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- @ संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) आदेश, 1976 द्वारा यथा संशोधित
- @ संविधान (दादर और नगर हवेली ii) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- @ संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
- @ संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- @ संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
- @ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश देना, 1968
- @ संविधान (गोवा, दमन और दिल्ली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- @ संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
- @ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- @ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- @ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
- @ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
- @ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991
- @ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम वाही करना। 1991
- @ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002
- @ संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- @ संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- @ संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002
- @ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007

% 2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से दूसरे में प्रवास कर गए हैं,

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती*.....पिता/माता श्री/श्रीमती/कुमारी*
..... के गांव/कस्बा*/क्षेत्र**जिला/मंडल*.....राज्य/संघ राज्य

क्षेत्र*.....के जो उस जाति/जनजाति* से संबंधित हैं जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है, को दिनांक.....को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

%3. श्री/श्रीमती/सुश्री*.....और/या* उनका/उनकी* फैमिली सामान्यतः राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र* केजिला/संभाग* के गांव/कस्बे*.....में रहती है।

हस्ताक्षर.....
**पद का नाम.....।

(कार्यालय की मुहर के साथ)
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*

स्थान:

दिनांक:

* * कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं होते।

@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें।

% उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू नहीं होता

नोट: यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करते हैं" का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

****अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत प्राधिकारियों की सूची**

- (i) जिलाधिकारी प्रथम श्रेणी/उप कलेक्टर/अतिरिक्त उपायुक्त /उपायुक्त/कलेक्टर/ उप जिलाधिकारी / कार्यकारी/तालुका मजिस्ट्रेट/(सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट)मंडल मजिस्ट्रेट-उप/वैतनिक मजिस्ट्रेट प्रथम) अतिरिक्त सहायक आयुक्त।/मजिस्ट्रेट श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से नीचे का नहीं।(
- (ii) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेटप्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।/एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /
- (iii) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेटप्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।/एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /
- (iv) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं हों।
- (v) उस क्षेत्र का उपया उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।/मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और-
- (vi) प्रशासक(लक्षद्वीप) विकास अधिकारी/प्रशासक के सचिव/

टिप्पणी: तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को केवल राजस्व प्रभागीय अधिकारी से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

**भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले
अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/
पुत्री,..... गांव/..... कस्बा,
जिला/मंडल,..... के निवासी हैं और
जाति से हैं, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक
..... के संकल्प संख्या के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के रूप
में मान्यता प्राप्त है।* और/या उनका परिवार सामान्यतःराज्य/संघ राज्य क्षेत्र के
..... जिले/मंडल में निवास करता है। यह भी प्रमाणित किया जाता
है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या
36012/22/93-स्था. (एससीटी), दिनांक 9 मार्च, 2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था.
(आरईएस), दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था. (आरईएस) और
दिनांक 27 मई, 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था. (आरईएस) की अनुसूची के कॉलम
3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।

दिनांक
मुहर

हस्ताक्षर.....
पदनाम.....

* प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प का विवरण देना पड़ सकता है, जिसमें
अभ्यर्थी की जाति ओबीसी बताई गई है।

** समय-समय पर संशोधित।

\$ अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों के समान होगी।

- (i) जिलाधिकारी प्रथम श्रेणी/उप कलेक्टर/अतिरिक्त उपायुक्त /उपायुक्त/कलेक्टर/ अपर जिलाधिकारी/
कार्यकारी/तालुका मजिस्ट्रेट/(सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट)मंडल मजिस्ट्रेट-उप/वैतनिक मजिस्ट्रेट
।(प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से नीचे का नहीं) अतिरिक्त सहायक आयुक्त।/मजिस्ट्रेट
- (ii) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।/एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं हों।
- (iv) उस क्षेत्र का उपया उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।/मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और-
- (v) प्रशासकलक्षद् विकास अधिकारी/प्रशासक के सचिव/वीप)

नोट: - यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः" का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20
में है।

**अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रिमी लेयर के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत
किया जाने वाला घोषणापत्र का प्रारूप (जाति प्रमाण पत्र के अतिरिक्त)**

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी गांव/ कस्बा/
शहर जिला राज्य

..... एतद्वारा घोषणा करता हूं कि मैं जाति से हूँ जिसे
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36102/22/93-स्था.(एससीटी) दिनांक 8-9-1993 में
निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता
दी गई है। यह भी घोषित किया जाता है कि मैं उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8-9-1993, कार्यालय ज्ञापन
संख्या 36033/3/2004-स्था.(आरक्षण) दिनांक 9 मार्च, 2004 और कार्यालय ज्ञापन संख्या
36033/3/2004-स्था.(आरक्षण) दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 और समय-समय पर संशोधित अनुसूची के
कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे माता-पिता/अभिभावक की क्रीमी लेयर के लिए
स्थिति/वार्षिक आय की शर्त आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्धारित सीमा के भीतर है।

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पता.....

स्थान:.....

तारीख:.....

.....सरकार
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणपत्र सं

दिनांक.....

वर्ष..... के लिए वैध

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री/पत्नी
..... ग्राम/गली,..... डाकघर,क्षेत्र पिन
कोड का स्थायी निवासी है, जिसका फोटो नीचे सत्यापित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
से संबंधित है, क्योंकि उसके/उसकी परिवार की सकल वार्षिक आय* वित्तीय वर्ष के लिए 8 लाख रुपये (केवल
आठ लाख रुपये) से कम है। उसके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है**:

- I. 5 एकड़ कृषि भूमि और उससे अधिक;
- II. 1000 वर्ग फीट और उससे अधिक का आवासीय प्लॉट
- III. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड ;
- IV. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/सुश्री..... जाति से संबंधित हैं जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और
अन्य पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

आवेदक का
नवीनतम पासपोर्ट
आकार का
सत्यापित फोटो

* नोट 1: आय के सभी स्रोत जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल किया गया है।

**नोट 2: आरक्षण का लाभ लेने वाले व्यक्ति के "परिवार" शब्द के प्रयोजन में उस व्यक्ति के माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

***नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय एक "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में धारित संपत्ति को एक साथ जोड़ दिया गया है।

प्रारूप - V

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले या बौनेपन और नेत्रहीनता के मामले में)

[नियम 18 (1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निशक्त व्यक्ति का
हाल ही का पासपोर्ट
आकार का
अनुप्रमाणित फोटो
(केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं.

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री जन्मतिथि (दि/म/व) आयु
..... वर्ष पुरुष/ महिला पंजीकरण संख्या
, जोकि मकान नं. वार्ड/ गांव/ गली डाकघर
..... जिला राज्य के स्थायी निवासी
हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला:

- गतिविषयक दिव्यांगता
 - बौनापन
 - नेत्रहीनता का है
- (जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में निदान है।

(ग) वे दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार अपने (शारीरिक अंग) (उल्लेख करें) के संबंध में% (अंकों में)% (शब्दों में) स्थायी गतिविषयक दिव्यांगता/ बौनापन/नेत्रहीनता से पीड़ित हैं।

2. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा
--------------------	--------------------	---

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

नोट: संबंधित विषय/ दिव्यांगता (अर्थात दृष्टि दिव्यांगता – नेत्र विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता – अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए।

यथा संशोधित सैनिक केंद्रीय/सिविल सेवा और पदों में पुनर्नियुक्तनियम (, 1979 के अनुसार।

स्थान....., तिथि.....

उम्मीदवार का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रारूप-VI

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(एक से अधिक दिव्यांगता की स्थिति में) [नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निशक्त व्यक्ति का हाल
का पासपोर्ट आकार का
अनुप्रमित फोटो (केवल
चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं.

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री जन्मतिथि (दि/म/व) आयु
..... वर्ष पुरुष/ महिला पंजीकरण संख्या
, जोकि मकान नं. वार्ड/ गांव/ गली डाकघर
..... जिला राज्य..... के स्थायी निवासी हैं
और जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि
(क) वे एक से अधिक दिव्यांगता से पीड़ित हैं। उनकी शारीरिक निशक्तता / दिव्यांगता का दिशानिर्देशों
..... (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख का उल्लेख किया जाए)
के अनुसार निम्नलिखित इंगित दिव्यांगताओं के लिए जांच किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त
निशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक दिव्यांगता/ मानसिक दिव्यांगता (% में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशा संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
6.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
7.	अल्प दृष्टि	#		
8.	अंधापन	#		
9.	बधिरता	(
10.	श्रवण दिव्यांगता	(
11.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			

12.	बौद्धिक दिव्यांगता			
13.	विश्लेषण अभिगम दिव्यांगता			
14.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
15.	मानसिक बीमारी			
16.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
17.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
18.	पार्किन्सन बीमारी			
19.	हेमोफिलिया			
20.	थेलेसेमिया			
21.	सिकल सेल बीमारी			

(ख) उपर्युक्त के अनुसार, उनके स्थायी शारीरिक निशाकता (दिशानिर्देशों की संख्या एवं जारी करने की तिथि का उल्लेख करें) का कुल मूल्यांकन निम्नानुसार है-

अंकों मेंप्रतिशत

शब्दों मेंप्रतिशत

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है / गैर-प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है, अथवा

(ii) वर्ष माह के पश्चात् पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र (तारीख) (माह) (वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/ दोनों बाहें/ टांगें

उदाहरणतः एक आँख/ दोनों आँखें

(उदाहरणतः बाएं/दाएं/ दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाण पत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा
--------------------	--------------------	---

5. चिकित्सा प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर)

सदस्य का नाम एवं मुहर	सदस्य का नाम एवं मुहर	अध्यक्ष का नाम एवं मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर / अंगूठे की छाप

जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुलग्नक – VII

प्रारूप-VII – दिव्यांगता प्रमाण पत्र
(प्रपत्र V और VI में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)
(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)
[नियम 18(1) देखें]

निशक्त व्यक्ति का हाल ही का
पासपोर्ट आकार का अनुप्रमित
फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं.

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री
..... जन्मतिथि (दि/म/व) आयु वर्ष पुरुष/ महिला
..... पंजीकरण संख्या , जोकि मकान नं. वार्ड/
गांव/ गली डाकघर जिला
राज्य..... के स्थायी निवासी हैं और जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक
जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि वे दिव्यांगता से पीड़ित हैं। उनकी शारीरिक निशक्तता
/ दिव्यांगता का दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख का उल्लेख
किया जाए) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त
निशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता (% में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशा संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
5.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
6.	अल्प दृष्टि	#		
7.	बधिरता	(
8.	श्रवण दिव्यांगता	(
9.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विश्लेषण अभिगम दिव्यांगता			
12.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक बीमारी			
14.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
15.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
16.	पार्किन्सन बीमारी			
17.	हेमोफिलिया			

18.	थेलेसेमिया			
19.	सिकल सेल बीमारी			

(कृपया उन निशक्तताओं को काट दें जो लागू न हों)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है / गैर-प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।
3. निशक्तता का पुनःनिर्धारण:
 - (i) आवश्यक नहीं है, अथवा
 - (ii) वर्ष माह के पश्चात् पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र (तारीख) (माह) (वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/ दोनों बाहें/ टांगें

उदाहरणतः एक आँख/ दोनों आँखें

(उदाहरणतः बाएं/दाएं/ दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाण पत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
(नाम और मुहर)

प्रतिहस्ताक्षर
{यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है
जो सरकारी अधिकारी (मुहर के साथ) नहीं है, तो
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक/
सरकारी अस्पताल के अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर एवं मुहर}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर / अंगूठे की छाप
जिसके लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

टिप्पणी: यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी नहीं है, तो यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही वैध होगा।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत आने वाली विनिर्दिष्ट दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, अर्थात् 40 % से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, के लिए प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, हमने श्री/सूश्री/श्रीमती (अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र/ सुपुत्री, निवासी (ग्राम/डाकघर/थाना/जिला/राज्य), आयु वर्ष, (दिव्यांगता/ स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित व्यक्ति की जांच की है, और उल्लेख करते हैं कि उनकी उपर्युक्त स्थिति के कारण उनकी लेखन संबंधी सीमाएं हैं जिससे उनकी लेखन क्षमता बाधित होती है। उन्हें परीक्षा लिखने के लिए प्रलिपिक की सहायता की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त अभ्यर्थी प्रोस्थेटिक्स और ओर्थोटिक्स, हियरिंग एड (नाम निर्दिष्ट करें) जैसी सहायिकाओं और सहायक उपकरणों का उपयोग करता है, जो प्रलिपिक की सहायता से परीक्षा में बैठने हेतु अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाणपत्र केवल भर्ती एजेंसियों, और साथ ही शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम की अवधि के लिए वैध है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है) तक वैध है।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
ऑर्थोपेडिक/ पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक/ पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/ मनोचिकित्सक/ विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध है)	व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध है)	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अन्य विशेषज्ञ (यदि कोई है)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन / मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी अध्यक्ष				

मोहर के साथ सरकारी अस्पताल/ स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम

स्थान:

तारीख:

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए विश्व दिव्यांगता से संबंधित व्यक्ति, परन्तु जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता और जिसे लिखने में कठिनाई हो, द्वारा वचनपत्र।

मैं
(दिव्यांगता/स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित अभ्यर्थी, जिसका अनुक्रमांक सं. है
..... जिला, (राज्य का नाम) में स्थित
..... (केन्द्र का नाम), में (परीक्षा का नाम)
में बैठ रहा हूं। मेरी शैक्षिक योग्यता है।

2. मैं एतद्वारा व्यक्त करता हूं कि (प्रलिपिक का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए प्रलिपिक की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतद्वारा वचन देता हूं कि उसकी शैक्षिक योग्यता है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और उसकी योग्यता मेरी योग्यता से अधिक है, तो मैं पद या प्रमाणपत्र/ डिप्लोमा/ डिग्री और उससे संबंधित दावों पर अपना अधिकार खो दूंगा।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)
(यदि अभ्यर्थी अवयस्क है तो माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर)

स्थान:.....

तारीख:.....

स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र

मैं (दिव्यांगता का स्वरूप)
दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति हूँ, मैं, (जिले का नाम) (राज्य/
संघ राज्यक्षेत्र का नाम) में स्थित (केंद्र का
नाम) पर (परीक्षा का नाम) में उपस्थित हो रहा हूँ एवं मेरा अनुक्रमांक
..... है। मेरी शैक्षिक योग्यता है।

मैं सूचित करता /करती हूँ कि (प्रलिपिक का नाम)
अधोहस्ताक्षरित को पूर्वोक्त परीक्षा में प्रलिपिक/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेंगे/ करेंगी।

मैं प्रमाणित करता /करती हूँ कि उनकी शैक्षिक योग्यता है। यदि बाद में यह पता
चलता है कि उनकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से
अधिक है, तो मुझे इस पद और इससे संबंधित दावे का अधिकार नहीं रहेगा

(दिव्यांग अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

स्थान:.....

तारीख:.....

परीक्षार्थी की लिखने संबंधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सूश्री/श्रीमती (दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री, ग्राम/जिला/राज्य के निवासी हैं, जोकि (दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा-उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप और उसकी प्रतिशतता) से पीड़ित हैं, की जांच की है और उल्लेख करता हूं कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक सीमाएं उनकी लेखन क्षमताओं को प्रभावित करती हैं।

हस्ताक्षर

सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल

सर्जन/ चिकित्सा अधीक्षक के नाम व पदनाम

सरकारी अस्पताल/ स्वास्थ्य सेवा संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान:

तारीख:

टिप्पणी: संबंधित विषय/ दिव्यांगता (अर्थात दृष्टि दिव्यांगता – नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता – अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए।

सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए आयु में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु सेवा में/सेवानिवृत्त/ मुक्त किए गए सशस्त्र बल कर्मियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र

क. मुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों/के लिए लागू प्रमाण पत्र का फॉर्म

यह प्रमाणित किया जाता है कि(रैंक),..... (नाम) जिनकी जन्म तिथि है, उन्होंने सेना वायु सेना में/नौसेना/..... से तक सेवा प्रदान की है।

2. उसे सैन्य सेवा से मुक्त किया गया है:

% a) निर्धारित सेवे पूरा करने पर, अन्यथा

i) बर्खास्तगी के द्वारा, या

ii) कदाचार या अक्षमता के कारण सेवा समाप्ति के द्वारा, या

iii) उसकी स्वेच्छा से, लेकिन बिना पेंशन अर्जित किए, या

iv) उसे ऐसे मुक्त किए जाने की प्रतीक्षा में रिजर्व में स्थानांतरित नहीं किया गया है

% b) सैन्य सेवा के कारण उत्पन्न शारीरिक अक्षमता के आधार पर।

% c) कम से कम पाँच साल की सैन्य सेवा करने के बाद अक्षमता के कारण।

3. वह यथा संशोधित भूतपूर्व केंद्रीय सैनिक-सिविल सेवा और पद में पुनर्नियुक्तिनियम (, 1979 के अंतर्गत परिभाषा में शामिल हैं।

स्थान :.....

तारीख :.....

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर,

नाम और पदनाम***

मुहर

% जो पैराग्राफ लागू नहीं होता, उसे हटा दें।

ख. सेवा में कर्मचारियों के लिए प्रमाणपत्र का फॉर्म

(सेवारत कर्मचारियों पर लागू जो एक वर्ष के भीतर मुक्त होने वाले हैं)

यह प्रमाणित किया जाता है कि क्रमांक रैंक नाम सेना वायु / नौसेना /
..... सेना में से सेवा में हैं।

2. उन्हें निर्धारित सेवा अवधि पूरी होने पर को सेवा से मुक्ति/सेवानिवृत्ति मिलनी है।

3. उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक मामला लंबित नहीं है।

स्थान :

दिनांक :

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर,
नाम और पदनाम***
मुहर

उम्मीदवार सेवा)रत कर्मजो प्रमाणपत्र (-ख प्रदान कर रहे हैं, उन्हें निम्नलिखित वचन देनी होगी:

एक वर्ष के अंदर मुक्त होने वाले सेवारत सशस्त्र बल कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली प्रतिज्ञा।

मैं समझता हूँ कि यदि इस आवेदन से संबंधित भर्तीपरीक्षा के आधार पर मुझे चयनित किया जाता है/, तो मेरी नियुक्ति इस शर्त पर होगी कि मैं नियुक्ति प्राधिकरण को संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत करूँ कि मुझे सशस्त्र बलों से ठीक प्रकार से मुक्त/सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त किया गया है और मुझे सेवानिवृत्त सैनिकों को मिलने वाले लाभों का अधिकार है जैसा कि समय समय पर संशोधित-भूतपूर्व सैनिक(के) द्वीय सिविल सेवा और पद पर पुनर्नियुक्ति) नियम, 1979 में निर्धारित है।

स्थान :

तारीख :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर और नाम

**ग. प्रारंभिक सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात विस्तारित नियुक्ति पर सेवारत
ईसीओ/एसएससीओ के लिए लागू प्रमाण पत्र का प्रारूप**

यह प्रमाणित किया जाता है कि संख्या रैंक..... नाम
..... जिनकी जन्म तिथि है, से
सेना वायुसेना में सेवा/नौसेना/प्रदान कर रहे हैं।

2. उन्होंने अपनी प्रारंभिक पांच वर्ष की नियुक्ति अवधि पूरी कर ली है और अब वे तक
विस्तारित नियुक्ति पर हैं।

3. उनके सिविल रोजगार के लिए आवेदन करने में कोई आपत्ति नहीं है और नियुक्ति के प्रस्ताव प्राप्त होने की
तिथि से तीन महीने की सूचना पर उन्हें मुक्त किया जाएगा।

स्थान :

तारीख :

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर,

नाम और पदनाम***

मुहर



सी.एस.आई.आर.-केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्)
सेक्टर 10, जानकीपुरम विस्तार, सीतापुर रोड, लखनऊ - 226 031 (भारत)
CSIR - Central Drug Research Institute
(Council of Scientific & Industrial Research)
Sector 10, Janakipuram Extension, Sitapur Road, Lucknow - 226 031 (India)



ADVERTISEMENT NO. CSIR-CDRI/ 01 /2026

Access link for 'Hindi Officer' and 'Multi-Tasking Staff' Recruitment-2026 on
<https://cdri.res.in>

<u>For the Post of 'Hindi Officer' and 'Multi-Tasking Staff'</u>	Monday, 12th January, 2026 from 10:00 AM
Start date and time of submission of Online Application Form & Payment of Application Fee (Online) through Debit Card/Credit Card/Net Banking	
Last date and time of Submission of Online Application Form (Thereafter website link will be disabled)	Monday, 16th February, 2026 up to 05:30 PM

Hard Copy of application shall not to be sent to CSIR-CDRI

CSIR-Central Drug Research Institute, Lucknow is a constituent laboratory under Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), New Delhi an autonomous body under Ministry of Science & Technology, Govt. of India. It is a unique R&D Institution in the country with state-of-the-art infrastructure for fundamental chemical and biomedical research driven new drug discovery and development. Institute is richly contributing to the advancement of understanding of disease biology in the areas of national priorities, and set-off revolution of Indian pharma sector over the past 70 years. In the coming years, Institute would like to focus unmet as well as unaffordable medical needs of the nation, including re-emerging parasitic & infectious diseases and those diseases which Indian population is bracing due to changed life style including ageing related diseases.

CSIR-CDRI/Govt. of India strives to have a workforce which reflects gender balance and woman candidates are encouraged to apply.

1. Details of the vacancy positions

Institute invites **ONLINE** applications from eligible, suitably qualified, dynamic, and dedicated Indian applicants for the following vacant posts of **Hindi Officer and Multi-Tasking Staff** on direct recruitment basis:

<u>Post Code</u>	<u>Name of the Posts</u>	<u>No. of Posts & Reservation status</u>	<u>Classification and Pay level/Pay Matrix & Total Emoluments (Rs.)</u>	<u>**Upper Age Limit not exceeding (as on last date of submission of online application i.e. 16th Feb., 2026)</u>
Post Code-A	Hindi Officer	Total post: 01 UR	Group A (Gazetted) Pay Level-10, Cell-1 (Pay Scale Rs. 56100-177500/-) Total Rs. 97,452/- (Approx.)	35 years (Age relaxation as per Extant Rules)
Post Code-B	Multi-Tasking Staff	Total Post : 04 UR-02 SC-01 OBC-01	Non-Tech Group 'C' Pay Level-1, Cell-1 (Pay Scale Rs. 18000-56900/-) Total Rs. 35,393/- (Approx.)	25 years (Age relaxation as per Extant Rules)

* Approximate total emoluments on minimum of scale including HRA, TA as applicable in Class 'Y' Cities and DA as applicable to Central Government Staff.

** Please see age relaxation under Relaxation Column

Abbreviations: **SC:** Scheduled Caste; **ST:** Scheduled Tribe, **OBC:** Other Backward Class, **EWS:** Economically Weaker Section ; **UR:** Unreserved & **PwBD:** Persons with Benchmark Disabilities.

2. Details of the Essential Education qualification, Desirable and Job Requirements etc.

A- For Post Code-A (Hindi Officer):-

Essential Educational Qualification	Desirable Qualification	Job requirements
<p>(i) Master's degree from a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>OR</p> <p>Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>OR</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;</p> <p>OR</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of a examination at the degree level;</p> <p>OR</p> <p>Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level.</p> <p>AND</p> <p>(ii). Three years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central Government or State Governments or Union Territories or Autonomous Body or Statutory Organizations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research or educational institutions.</p> <p>OR</p> <p>Three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central Government or State Governments or Union Territories or autonomous bodies or statutory Organizations or Public Sector Undertakings or Universities or recognized research or educational institutions.</p>	<p>a) Studied one of the languages other than Hindi included in the EIGHTH SCHEDULE of the constitution at 10th Level from a recognized board.</p> <p>b) Administrative experience.</p> <p>c) Experience of organizing Hindi classes or Workshops for noting drafting.</p>	<p>The Hindi Officer will be responsible for ensuring compliance of the Official Language Policy of the Central Government in CSIR in accordance with the Official Language Act 1963 as amended upto-date and rules & orders issued by the Central Government in this regard. Further, any other work as may be assigned by Higher Authorities from time to time.</p>

B- For Post Code-B (MULTI-TASKING STAFF)-

A multi-tasking staff member is an employee who performs various duties across different roles, such as an Indian government's Multi-Tasking (Non-Technical) Staff (MTS) who handles a range of administrative and support tasks like filing, data entry, and maintaining office upkeep. A multi-tasking individual is versatile and can handle multiple responsibilities, which can reduce the need for additional staff.

Essential Educational Qualification	Desirable Qualification	Job requirements
Matriculation or equivalent pass OR ITI pass* *May be adopted as per special requirements of the post, if any	Intermediate (12 th class) pass	<p><u>Duties of Multi-Tasking Staff (MTS)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>Office Maintenance & Support</u> <ul style="list-style-type: none"> Physical maintenance of office records, files, and registers. General cleanliness and upkeep of the office premises. Assisting in arranging furniture, equipment, or materials in the office. Ensuring the office is opened and closed on time. <u>File & Document Handling</u> <ul style="list-style-type: none"> Carrying files, papers, and documents from one section/department to another. Assisting in the filing and record-keeping process. Photocopying, sending FAX, scanning, and other routine clerical work. <u>Delivery & Communication</u> <ul style="list-style-type: none"> Delivering Dak (official mail) within and outside the office. Dispatching official letters, parcels, and communications as instructed. Assisting in the reception area and attending to visitors if required. <u>Equipment & Utility Work</u> <ul style="list-style-type: none"> Operating simple office machines like photocopiers or fax machines. Assisting in maintaining office equipment. Ensuring proper use and storage of stationery and supplies. <u>Support to Officers & Staff</u> <ul style="list-style-type: none"> Serving water, tea, or refreshments during meetings or office hours. Assisting senior officials in day-to-day office work as directed. Helping in organizing official meetings, workshops, and conferences. <u>Any Other Duties Assigned</u> <ul style="list-style-type: none"> Performing any other task assigned by superior officers that falls within the general nature of MTS duties. <p><u>General duties</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Filing, photocopying, and data entry Maintaining and updating records and databases Assisting with office equipment and machinery Handling and distributing mail and documents General housekeeping and cleanliness Carrying files within a building Other non-clerical work as assigned

3- Mode of Selection, Scheme of Examination, Syllabus and Break up of Marks

A. Selection Procedure for Post Code-A Hindi Officer:

Selection to the post of Hindi Officer will be on the basis of Written Examination followed by Interview to be conducted by the duly constituted Selection Committee. Written Test and the interview shall carry a 75:25 weightages.

- Maximum time for written exam will be 2 hour and maximum marks will be 300.
- Maximum marks for interview will be 100.
- The questions will be MCQ type in written examination.
- The medium for exam will be HINDI.
- There will be negative marks for every wrong answer. Total 1/3 marks will be deducted for every wrong answer from the total marks. If no option is chosen for any question, then no marks will be deducted for the same.
- For one UR post of Hindi Officer, upto 12 candidates, scoring the highest marks and meeting the threshold marks of 50% in the written examination, will be called for interview, to be held at Lucknow.

Syllabus for the Exam:

- संघ की राजभाषा नीति, संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रपति के आदेश-1960, राजभाषा संकल्प-1968 (राजभाषा अधिनियम, नियम एवं वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम)
- राजभाषा हिन्दी के संवर्धन हेतु कार्यरत सरकारी संस्थाएँ समितियाँ एवं योजनाएँ
- राष्ट्रभाषा और राजभाषा
- हिन्दी भाषा एवं साहित्य का विकास
- हिन्दी के प्रमुख साहित्यकार एवं कृतियाँ
- हिन्दी साहित्य की आधुनिक प्रवृत्तियाँ/विमर्श
- देवनागरी लिपि की इतिहास एवं विकास
- हिन्दी भाषा एवं साहित्य के विकास में देवनागरी लिपि एवं अनुवाद का योगदान
- वाक्य संरचना, व्याकरण एवं वर्तनी
- हिन्दी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद, वाक्यांश/पारिभाषिक शब्दावली
- वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रकृति के अनुवाद और शब्दावली
- हिन्दी से सम्बन्धित आईटी टूल्स
- ई गवर्नेंस में हिन्दी
- हिन्दी सम्बन्धी सामान्य ज्ञान

B. Selection Procedure for Post Code-B Multi-Tasking Staff:**Mode of Selection:**

Candidates who fulfill the eligibility criteria, as recommended by the Screening Committee duly constituted by the Director, CSIR-CDRI, will be invited for a Trade Test. The Selection Committee will decide the mode of the Trade Test and also conduct the same. The decision of the Selection Committee shall be final and binding on the candidates.

Candidates who qualify in the Trade Test will be invited for a Written Test. The final merit list will be prepared on the basis of the performance of the candidates in the Competitive Written Examination (CWE).

The Competitive Written Examination (CWE) will consist of a ONE paper, and the final merit list will be prepared on the basis of marks obtained by the candidates in this paper.

Syllabus of written test for the post of Multi-Tasking Staff: -

Mode of Examination	OMR based or Computer Based Objective type Multiple Choice Examination
Medium of Questions	The questions will be set both in English and Hindi except the questions on English language.
Standard of Exam	Class X
Total No. of Questions	150
Total time allotted	2 hours

Subject	No. of questions	Maximum Marks	Negative Marks
General Intelligence	25	75 (three marks for every correct answer)	One negative mark for every wrong answer
Quantitative Aptitude	25	75 (three marks for every correct answer)	One negative mark for every wrong answer
General Awareness	50	150 (three marks for every correct answer)	One negative mark for every wrong answer
English Language	50	150 (three marks for every correct answer)	One negative mark for every wrong answer

4- Application Fee

Unreserved (UR), OBC and EWS Categories	500/-
Women/SC/ST/PwBD/Ex-Servicemen/CSIR Departmental Candidates	NIL

5- AGE LIMIT AND RELAXATIONS (Relaxation in the Upper Age Limit):

Sl. No.	Category	Age-relaxation permissible beyond upper age limit
I.	Scheduled Caste/Scheduled Tribe (SC/ST)	5 Years (where the posts/ vacancies are reserved for SC/ST category)
II.	Other Backward Classes (OBC)	3 Years (where the posts/ vacancies are reserved for OBC category)
III.	PwBD (Unreserved)	10 Years
IV.	PwBD (SC/ST)	15 Years (where the posts/ vacancies are reserved for SC/ST category)
V.	PwBD (OBC)	13 Years (where the posts/ vacancies are reserved for OBC category)
VI.	Ex-Servicemen	3 years after deduction of the actual military service rendered from the actual age as on the closing date
VII.	Widow	As per Section 5 (e)
VIII.	CSIR Departmental Candidates and Candidates under the employment of Central Govt./ State Government/ Autonomous bodies (UR / EWS / OBC)	Upto 40 years of age
IX.	CSIR Departmental Candidates and Candidates under the employment of Central Govt./ State Government/ Autonomous bodies (SC/ST)	Upto 45 years of age
X.	Any other age relaxation	As per extant GoI/DoPT/CSIR Recruitment Rule

- The minimum age for applying is 18 years as on the last date of submission of online application.
- SC/ST/OBC(NCL) candidates who apply against the posts not reserved for them i.e. Unreserved (UR) posts will not be eligible for age relaxation and they will be treated at par with general candidates in respect of their selection [Application Fee Exemption is, however, applicable for SC and ST candidates in such cases].
- Candidates belonging to the reserved categories of SC/ST/OBC/PwBD/EWS/Ex-servicemen must upload a scanned copy of their certificate in the prescribed format as the case may be (**Annexed**) signed by the specified authority valid for appointment of posts under the Central Government. In addition, the OBC candidates have to submit a declaration as per **Annexed**.
- As per GOI provisions, the upper age limit is relaxable up to the age of 35 years for Widows, divorced Women and Women Judicially separated from their Husbands, who are not remarried but no relaxation of educational qualification or method of recruitment (upto 40 years for members of Scheduled Castes/Scheduled Tribe candidates in respect of the posts reserved for them). The persons claiming age relaxation under this sub-para would be required to produce following documentary evidence:

- i. In case of Widow, Death Certificate of her husband together with the Affidavit that she has not remarried since.
 - ii. In case of divorced Women and Women judicially separated from their husbands, a certified copy of the judgment/ decree of the appropriate Court to prove the fact of divorce or the judicial separation, as the case may be, with an Affidavit in respect of divorced Women that they have not remarried since.
- e. The cut-off date for determining the age, qualifications, claim of OBC/SC/ST/ EWS/ PwBD status or any other benefit viz. fee concession, reservation, age-relaxation, etc., where not specified otherwise shall be the last date for submission of online application i.e. 26th December, 2025.
- f. Candidates may also note that in respect of the above, their candidature will remain provisional till the veracity of the concerned document is verified by the Appointing Authority. Candidates are cautioned that a suitable action will be taken in case they fraudulently claim OBC/SC/ST/ EWS/ ESM/ PwBD status or avail any other benefit.
- g. Age relaxation of 10 years (15 years for SC/ST and 13 years for OBC candidates) in the upper age limit shall be allowed to persons suffering from (a) blindness or low vision (b) deaf and hard of hearing (c) loco motor disability or cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy (d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness and (e) multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf blindness subject to the condition that maximum age of the applicant on the crucial date shall not exceed 56 years. The age concession to the persons with benchmark disabilities shall be admissible irrespective of the fact whether the post is reserved for persons with disabilities or not, provided the post is identified as suitable for the relevant category of disability. Relaxation of the age limit would be permissible to such persons who have a minimum 40% disability.
- h. Candidate(s) must upload scanned relevant documents/certificates/testimonials along with their recent coloured photograph and signature as specified therein. Further, candidate(s) must pay the online application fee, if applicable. Candidate(s) must ensure that all the details provided by the candidates in the online application form tally with the respective documents/certificates/testimonials.
- i. SC/ST/OBC certificates should be in the prescribed formats for appointment to posts under the Government of India (GoI). The OBC (Non-Creamy Layer) certificates must also meet the Non-Creamy Layer criteria for appointment to posts under the GoI as laid down by the GoI and not for appointment in any of the States of Union bearing references to those State Govt. orders.
- j. Eligibility for OBC candidates will be based on castes listed in the Central List of the Government of India, and their sub-caste must match the entries in this list; otherwise, their candidature will not be considered under any reserved category and will be treated as Unreserved (UR), if otherwise eligible. OBC candidates in the "Creamy Layer" are not entitled to concessions available to the OBC category and must indicate their category as General.
- k. The OBC (Non-Creamy Layer) are required to additionally furnish a 'Form of Declaration' supporting their claim that they do not belong to the OBC (Creamy Layer) category based on income for the immediately preceding three financial years.

6- Centre of Written Examination

- a. The written examination will be held in Lucknow.
- b. The date, time and venue of the written examination will be intimated well in time to the candidates, through CSIR-CDRI website as well as through Email Id, as provided by them in their application form.
- c. No request for change of centre/venue/date/session for Examination shall be entertained.
- d. Candidate will appear for the examination at the Examination Centre at his/her own risks and expenses and CSIR will not be responsible for any injury or losses etc. of any nature.

7- Methodology for Resolution of Tie cases

In the event of tie in scores of candidates in Written Exam, merit will be decided as per CSIR Circular No. 5-1(211)/2014-PD dated 30.05.2023.

8- Terms & Conditions

(8.1) Benefits under Council Service:

- a. The above posts carry Pay and Allowances, such as HRA and Traveling allowance etc. at Central Government rates as applicable to the employees of Council at the place of posting and as made applicable to the employees of Council stationed at Lucknow (Class 'Y' City). In addition, other benefits such as Leave Travel Concession and Reimbursement of Medical expenses and Children's Education Allowances etc. are also available, as per CSIR rules. Accommodation will be provided as per CSIR Allotment Rules depending on availability in which case HRA will not be admissible.
- c. All new entrants will be governed by the National Pension System applicable w. e. f. 01.01.2004 as notified by the Government of India and adopted by CSIR vide their letter number 17/68/2001-E.II, dated 23.12.2003 and other instructions issued on the subject. However, persons selected from other Government Departments/ Autonomous Bodies/ Public Sector Undertakings/ Central Universities having Pension Scheme on Govt. of India pattern will continue to be governed by the existing Pension Scheme i.e. CCS (Pension) Rules, 2021, as per rules.

(8.2) General Conditions and Information:

- a. The applicant must be a citizen of India.
- b. The prescribed essential qualifications are the minimum and the mere possession of the same does not entitle candidates to be called for Skill test/written Exam/appointment. If on verification either before or after at any of the stage of selection process, it is found that any candidate does not fulfill any of the eligibility conditions, his/her candidature will be summarily cancelled forthwith.
- c. The decision of CSIR-CDRI in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of applications, mode of selection, will be final and binding on the candidates and no enquiry or correspondence will be entertained in this connection from any candidate or his/her agency.
- d. Those employed in Govt. Deptt / PSUs / Autonomous Bodies should upload a certificate indicating that her/his department has **No Objection** in her/his applying to this post and the applicant will be relieved within one month of receipt of appointment offer, if she/he is selected, obtained from his/her present employer, along with other documents in order to be considered as a case of '**application through proper channel**' OR such candidates should get the printout of the duly filled online application forwarded through his/her employer to this office i.e. CSIR-CDRI, Sector-10, Jankipuram Extension, Lucknow - 226031 at the earliest along with the certificate as indicated above and vigilance clearance should also be recorded.
- e. All applicants must fulfill the essential requirements of the post and other conditions stipulated in the advertisement as on the closing date prescribed for online application. They are advised to satisfy themselves before applying that they possess atleast the essential qualifications laid down for the posts as on the last date of receipt of online applications. No enquiry asking for advice as to eligibility will be entertained. The prescribed educational qualifications should have been obtained from a University/Institution/Board recognized by Govt. of India/approved by Govt. Regulatory Bodies and final result should have been declared on or before the last date of receipt of online application.
- f. In case of Universities/Institutes awarding CGPA/SGPA/OGPA grades, etc., candidates are requested to convert the same into percentages based on the formula as per their University/Institute.
- g. If any document/certificate furnished is in a language other than Hindi or English, a transcript of the same in either Hindi or English duly attested by a Gazetted Officer or Notary is to be submitted.
- h. All applicants must ensure to upload Pdf scan copy of original documents of the relevant certificates i.e. proof of Date of Birth (Matriculation or equivalent certificate for age proof) relevant educational qualification, caste certificate, experience certificate etc., if applicable alongwith online application, failing which application will not be considered.

- i. In respect of equivalent clause in Essential qualification, if a candidate is claiming a particular qualification as equivalent qualification as per the requirement of advertisement, then the candidate is required to produce order/letter in this regard, indicating the Authority (with number and date) under which it has been so treated otherwise the Application is liable to be rejected.
- j. Incomplete applications and lack of required certificates/documents are liable to be rejected. Any discrepancy found between the information given in application and as evident in original documents will make the candidate ineligible for the post (s).
- k. If any declaration given or information furnished by any candidate proves to be false or if he/she is found to have willfully suppressed any material information, his/her candidature may be cancelled at any stage and/or he/she will be liable to removal from service after joining at any stage, and such other action as may be deemed necessary may be taken by the Competent Authority.
- l. These posts are local and the normal place of posting is in CSIR-CDRI, Lucknow. However, the appointees are liable to be posted at any of the Laboratories/Institutes of CSIR in exigencies of work.
- m. In case candidates could not submit their online application due to failure of server/any technical defect at the last moment, last date will not be extended. Therefore, candidates are advised to submit online application well in advance without waiting for the last date of submission of application. Institute's decision shall be final and binding and no enquiry will be entertained in this regard.
- n. As the scrutiny of applications will be done on the basis of information furnished in the Online application form by the applicants, it is necessary that only accurate, full and correct information is furnished by the applicants. Furnishing of wrong/false information will be a disqualification and CSIR-CDRI will not be responsible for any of the consequence of furnishing such wrong/false information.
- o. The date of determining the upper age limit/experience/qualifications shall be closing date for submission of Online applications **i.e. 16th February, 2026**. The period of experience in a discipline/area of work, where-ever prescribed, shall be counted after the date of acquiring the minimum educational qualification prescribed for that Post(s).
- p. The candidate recruited for the post of Hindi Officer and Multi-Tasking Officer shall be placed on probation for a period for Two years from the date of joining, which may be extended and curtailed at the discretion of the Appointing Authority. After successful completion of probationary period, they will be considered for confirmation in accordance with the extant rules
- q. Canvassing in any form and/or bringing any political influence or otherwise will be treated as a disqualification for the post.

- r. Candidates applying for more than one post code should submit separate online application form. In case a candidate submits multiple online application for a single post code with different email id only the latest completed application will be entertained and a single application will be entertained from each candidate for each post code.
- s. The Director CSIR-CDRI reserves the right to cancel all or part of the advertisement without assigning any reason thereof or reserves the right not to fill posts. The number of vacancies indicated against each post/category is provisional and may increase or decrease during the selection process. This advertisement does not necessarily tantamount to the selections being actually made. The selection process is subject to the CSIR instructions prevalent at a given point of the time during various stages of selection process.
- t. The decision of the Director, CSIR-CDRI in all matters to eligibility, acceptance or rejection of applications, mode of selection and conduct of written examination and not to fill up all or any of the posts will be final and binding on the candidates. No enquiry or correspondence will be entertained in this connection from any individual or agency on behalf of the candidates. The Competent Authority has a right to amend, delete and add terms and condition to their end.
- u. For any issue that is not covered in this advertisement, appropriate instructions of CSIR will apply.
- v. Applicant must disclose as to whether any of their close relatives are employees of CSIR-CDRI or CSIR or any other laboratory/Institute of CSIR in the application form. Close relations would include wife/husband/son/daughter/parents/brother/sister or any/other person related to them by blood or marriage, whether they are dependent or not.
- w. Candidate should ensure that he/she possesses essential educational qualification/experience in the relevant area as required in the category/post, for which he/she is applying, on the last date of filling of online application.
- x. Any discrepancy found between the information given in application and as evident in original documents will make the candidate ineligible for appearing in Trade Test/Written Examination.
- y. Instructions on all kinds of reservations as received from Govt. of India/CSIR from time to time shall be implemented to the extent applicable in this advertisement.
- z. Medium of written Examination once opted cannot be changed at later stage.
- aa. Date of Birth filled by the candidate in the online application form and the same recorded in the Matriculation/10th Standard or equivalent mark-sheet/certificate indicating date of birth will be accepted for determining the age and no subsequent request for change will be considered /granted. Where date of birth is not available in certificate/ mark sheets, issued by concerned Educational Boards, School leaving certificate indicating Date of Birth will be considered.

- bb. Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) fulfilling the eligibility conditions prescribed under GOI instructions are encouraged to apply.
- cc. Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) is entitled to age concession by virtue of being a Central Government Employee, concession to him/her will be admissible either as a 'person with Benchmark disability' or as a 'Central Government Employee' whichever may be more beneficial to him/her.
- dd. Any further information regarding this advertisement like date, time and venue of tests, addendum/corrigendum or any variation in number of post/cancellation of post etc, will ONLY be made available through CSIR-CDRI website <https://www.cdri.res.in> Therefore, candidates are advised to keep visiting regularly the website of the Institute <https://www.cdri.res.in>.



CSIR - Central Drug Research Institute, Lucknow

9- How to apply

- a. Eligible candidates are required to apply ONLINE by accessing the website <https://cdri.res.in> or accessing the link "**HINDI OFFICER AND MULTI-TASKING STAFF-2026**" available on CDRI Website <https://cdri.res.in>
- b. For online application process please refer "How-to-apply online" instructions, "Fee Payment Procedure" and 'Application Replica' available on the above- mentioned website. Advt.No. CSIR-CDRI/ /2026
- c. If the candidate does not have a valid email id, he/she should create a new valid email ID before applying online and should be kept active during the entire recruitment process.
- d. The deadlines for the above-mentioned stages of application are as follows: -
 1. Start Date for Registration/fee submission for Online Application: **12-01-2026 at 10:00 AM.**
 2. Last Date for Submission of Online application: **16-02-2026 at 05.30 PM.**
- e. Following documents must be uploaded (All documents in original coloured scan/Self Attested in blue ink scan) in online application form:-
 - i. Fee receipt of Rs. 500/- as application fee, where applicable.
 - ii. Original coloured scan/Self Attested in blue ink Scan copies of certificates of Date of Birth, Educational qualification, Mark sheet, Service certificate for ex-servicemen etc.
 - iii. Original coloured scan/Self Attested in blue ink scan copy of *Caste Certificate in Govt. of India (GOI) format*, applicable.
 - iv. Original coloured scan/Self Attested in blue ink Scan copy of *Disability certificate (PwBD) issued by competent authority*, if applicable.
 - v. Original coloured scan/Self Attested in blue ink Scan copies of higher qualification acquired, experience, if any

10-Guidelines for Online Application

- a. Eligible candidates are required to apply ONLINE by accessing the CDRI website www.cdri.res.in or accessing the link "**HINDI OFFICER AND MULTI-TASKING STAFF-2026**" available on CDRI website.
- b. No other mode of application will be accepted.
- c. Candidates are required to pay application fee of Rs. 500/- as per 'fee payment Procedure' available on the website. The candidates belonging to SC/ST/PwBD/Women/other Gender Category/Ex-Servicemen/CSIR Employees as well as Identified Casual Workers in CSIR are exempted from submission of application fee.
- d. Application once made will not be allowed to be withdrawn and fees once paid will not be refunded on any account nor can it be held in reserve for any other recruitment or selection process.
- e. Candidates are advised in their own interest to submit the online application much before the closing date and not to wait till the last date to avoid the possibility of disconnection/inability or failure to login to the CSIR website on account of heavy load on the website during the closing days.
- f. Not more than one application should be submitted by any candidate. In case of multiple applications, only the latest valid (completed) application will be retained and the application fee/intimation charges paid for the other multiple registration(s) will stand forfeited.
- g. When application is successfully submitted, it will be accepted 'Provisionally'. Candidate should take printout of the application form for their own records. **Printout of the online Application Form is not required to be sent to the CSIR-CDRI.**

11-ACTION AGAINST CANDIDATES FOUND GUILTY OF MISCONDUCT/ USE OF UNFAIR MEANS

Candidates are advised in their own interest that they should not furnish any particulars that are false, tampered with or fabricated and should not suppress any material information while submitting online application. At the time of examination, interview or in a subsequent selection procedure, if a candidate is (or has been) found guilty of -

- a. using unfair means or
- b. impersonating or procuring impersonation by any person or
- c. misbehaving in the examination/ interview hall or disclosing, publishing, reproducing, transmitting, storing or facilitating transmission and storage of contents of the test(s) or any information therein in whole or part thereof in any form or by any means, verbal or written, electronically or mechanically for any purpose or
- d. resorting to any irregular or improper means in connection with his/her candidature or
- e. Obtaining support for his/ her candidature by unfair means, or
- f. carrying mobile phones or similar electronic devices of communication in the examination/ interview hall, such a candidate may, in addition to rendering himself/ herself liable to criminal prosecution, be liable:
 - (a) to be disqualified from the examination for which he/ she is a candidate
 - (b) to be debarred either permanently or for a specified period from any examination conducted by the CSIR
 - (c) for termination of service, if he/ she has already joined the Institute.

Note:- In case of discrepancy found between English edition of this advertisement and its Hindi translation, the English edition of this advertisement will be valid. Any further information regarding this advertisement like date, time and venue of tests, addendum/corrigendum or any variation in number of post/cancellation of post etc. will be made available through CSIR-CDRI website: <https://www.cdri.res.in> only. Therefore, candidates are advised to regularly visit the website of the Institute. While every effort has been made to ensure accuracy of this advertisement, however, CSIR-CDRI reserves the right to correct any inadvertent errors or typographical/Printing mistakes, if any, at any stage.

DISCLAIMER

Instances for providing incorrect information and/or process violation by a candidate detected at any stage of the selection process will lead to disqualification of the candidate from the selection process and he/she will not be allowed to appear in any of the Recruitment Process in the future. If such instances go undetected during the current selection process but are detected subsequently, such disqualification will take place with retrospective effect. Clarifications/decisions given/to be given by the CSIR-CDRI, regarding process for recruitment shall be final and binding. The decision of the Director, CSIR-CDRI in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of applications and not to fill up all or any of the posts will be final and binding.

NO INTERIM ENQUIRY AND CORRESPONDENCE WILL BE ENTERTAINED

Sr. Controller of Administration

coa.cdri@csir.res.in

0522-2771960

सी.एस.आई.आर. - केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
Estd. 1951

CSIR - Central Drug Research Institute, Lucknow

List of Annexures'

Sl. No.	Annexure Number	Particulars of the Annexures'	Page No.
1	Annexure-I	The form of certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for Appointment to posts under the Government of India	18-19
2	Annexure-II	Form of certificate to be produced by Other Backward Classes applying for appointment to Posts under the Government of India	20
3	Annexure-III	Form of declaration to be submitted by the OBC - NCL candidate (in addition to the community certificate)	21
4	Annexure-IV	Income & Asset Certificate to be produced by Economically Weaker Sections	22
5	Annexure-V	Form-V Certificate of Disability	23
6	Annexure-VI	Form-VI Certificate of Disability	24-25
7	Annexure-VII	Form-VII Certificate of Disability	26-27
8	Annexure-VIII	Certificate for a person with a specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. Persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.	28
9	Annexure-IX	Letter of Undertaking by the person with a specified disability covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. Persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.	29
10	Annexure-X	Letter of Undertaking for Using Own Scribe	30
11	Annexure-XI	Certificate regarding physical limitation of an Examinee to Write	31
12	Annexure-XII	Certificate to be produced by serving / retired / released armed forces personnel for availing the age concession for posts filled by direct recruitment	32-34

Annexure-I**The form of certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India**

This is to certify that Shri / Shrimati / Kumari* Son/daughter* of of village/town* in District/Division* of the State/Union Territory* belongs to the caste/tribe* which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* under: -

@ The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 @ The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950

@ The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories Order, 1951 @ The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Re-organisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976, the State of Mizoram Act, 1986, the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman and Diu (Reorganisation) Act, 1987.]

@ The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956

@ The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976

@ The Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962 @ The Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962 @ The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964 @ The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967

@ The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968 @ The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 @ The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970

@ The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978 @ The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978

@ The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989 @ The Constitution (SC) Order (Amendment) Act, 1990

@ The Constitution (ST) Order (Amendment) Act, 1991

@ The Constitution (ST) Order (Second Amendment) Act, 1991

@ The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act 2002 @ The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002

@ The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2002 @ The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002

@ The Constitution (Scheduled Caste) Order (Amendment) Act 2007

%2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration to another,

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes / Scheduled Tribe certificate issued to Shri / Shrimati* Father / Mother of Shri / Shrimati / Kumari*

..... of village/town*/Territory**
..... in District/Division* of the State/Union Territory* who
belong to the caste/tribe* which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* in the State/
Union Territory* issued by the

..... dated.....

%3. Shri/ Shrimati/ Kumari*.....and/ or* his/ her* family
ordinarily resides in village/town*..... of District/Division* of the
State/ Union Territory* of.....

Signature.....

**Designation.....

(With Seal of Office)
State/Union Territory *

Place:

Date:

* Please delete the words which are not
applicable. @ Please quote specific Presidential
Order.

% Delete the paragraph which is not applicable

NOTE: The term "ordinarily reside (s)" used here will have the same meaning as in Section 20
of the Representation of the People Act. 1950.

**List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificate

- (i) District Magistrate/ Additional District Magistrate/ Collector/ Deputy commissioner/ Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/ 1st Class stipendiary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner. (not below of the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
- (ii) Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides
- (v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer (Lakshadweep)

Note:

ST candidates belonging to Tamil Nadu State should submit caste certificate ONLY FROM THE

REVENUE DIVISIONAL OFFICER

Annexure -II**Form of certificate to be produced by Other Backward Classes applying for appointment to posts under the Government of India.**

This is to certify that Shri / Smt. / Kumari son / daughter
..... of village/town In District/Division
belongs to the community which is recognized as a backward class under the
Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution
No.

..... dated* and/or his family ordinarily reside(s) in
the..... District/Division of
the

..... State/Union Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the
persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India,
Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93- Estt. (SCT) dated 8.9.1993, OM No.
36033/3/2004- Estt. (Res) dated 9th March, 2004, O.M. No. 36033/3/2004-Estt. (Res) dated 14th October,
2008 and O.M. No. 36033/1/2013-Estt. (Res) dated 27th May, 2013**

Dated:

Signature.....

Designation.....\$

..... Seal:

*- The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government
of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

** - As amended from time to time.

\$ - List of Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate

- (i) District Magistrate/ Additional District Magistrate/ Collector/ Deputy commissioner/
Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/ 1st Class stipendiary Magistrate/
Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant
Commissioner. (not below of the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).
- (ii) Chief Presidency Magistrate/ Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides
- (v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer (Lakshadweep)

Note: - The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.



CSIR - Central Drug Research Institute, Lucknow

ANNEXURE - III**Form of declaration to be submitted by the OBC – NCL candidate (in addition to the community certificate)**

I Son/daughter of Shri.....resident of village / town / city district statehereby declare that I belong to the community which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 36102/22/93-Estt.(SCT) dated 8-9-1993. It is also declared that I do not belong to persons/sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 8-9-1993, O.M. No. 36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 9th March, 2004 and O.M. No. 36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 14th October, 2008 and as amended time to time.

I also declare that the condition of status / annual income for creamy layer of my Parents / guardian is within prescribed limits as on last date of application.

Signature

..... Full

Name

Address

Place:.....

Date:.....

CSIR - Central Drug Research Institute, Lucknow

Annexure - IV

Government of
(Name & Address of the Authority Issuing the Certificate)

Income & Asset Certificate to be produced by Economically Weaker Sections

Certificate No:
Valid for the year.....

Date:

This is to certify that Shri / Smt. / Kumari..... Son / daughter / wife of..... Permanent resident of, Village / Street, Post Office, Territory Pin Code..... whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his / her family** is below Rs. 8 lakhs (Rupees Eight Lakh only) for the financial year His / her family does not own or possess any of the following assets**:

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above
- III. Residential plot of 100 SQ. Yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in. areas other than the notified municipalities.

2. Shri /Smt. / Kumari..... belongs to the caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List).

Signature with seal of Office.....

Name.....

Designation.....

Recent passport
size attested
photograph of
the applicant

*Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

**Note 2: The term “Family” for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his / her parents and siblings below the age of 18 years as also his / her spouse and children below the age of 18 years

***Note 3: The property held by a “Family’ in different locations or different places / cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

Annexure - V**Form-V****Certificate of Disability**

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in cases of blindness) [See rule 18(1)]

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)

Recent passport size
attested photograph
(showing face only) of the
person with disability

Certificate No.....

This is to certify that I have carefully examined Shri / Smt / Kumari
..... Son / Wife / Daughter of Shri
..... Date of Birth (DD/MM/YY) Age..... years, male
/ female Registration No..... Permanent resident of House No
.....
Ward / Village / Street..... Post Office
District..... State Whose photograph is affixed above, and am
satisfied that:

(A) He/She is a case of:

- Locomotor disability
- Dwarfism
- Blindness

(Please tick as applicable)

(B) The diagnosis in his / her case is

(A) He / she has.....% (in figure) percent (in words)
permanent Locomotor Disability / dwarfism / blindness in relation to his / her(part
of body) as per guidelines (number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence: -

Nature of Document	Date of Issue	Details of Authority Issuing Certificate
CSIR - Central Drug Research Institute, Lucknow		

Signature and seal of Authorised Signatory of
Notified Medical Authority)

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (e.g. Visual impairment - Ophthalmologist, Locomotor disability - Orthopedic specialist / PMR).

Servicemen (Re-employment in Central Civil Service and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time.

Place: Date:

.....

Signature and Name of Candidate

Annexure -VI**Form-VI****Certificate of Disability****(In cases of Multiple****Disabilities) [See rule 18(1)]****(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)**

Recent passport size
attested photograph
(showing face only) of
the person with
disability

Certificate No.

Date:.....

This is to certify that we have carefully examined Shri /Smt. / Kumari.
..... son / wife / daughterof Shri
..... Date of Birth (DD/MM/YY) Age
..... years, male / female. Registration No.
..... permanentresident of House No.
..... Ward / Village / Street Post Office
.....District State, whose photograph is affixed above, and am
satisfied that:

(A) He/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guideline (..... number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

Sl. No.	Disability	Affected Part of Body	Diagnosis	Permanent Physical Impairment/Mental Disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	€		
10.	Hard of Hearing	€		
11.	Speech and Language disability			

12.	Intellectual Disability			
13.	Specific learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
Sl. No.	Disability	Affected Part of Body	Diagnosis	Permanent Physical Impairment/Mental Disability (in%)
16.	ChronicNeurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (..... number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:
 In figures..... percent
 In Words..... percentage

2. This condition is progressive/ non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:

i) not

necessary OR

ii) is recommended/ after years months, and therefore this certificate shall be valid till..... (DD)/(MM)/(YY)

@ - eg. Left/Right/both

arms/legs # - eg. Single eye

/both/eyes

€ - eg. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence: -

Nature of Document	Date of Issue	Details of Authority Issuing Certificate
CSIR - Central Drug Research Institute, Lucknow		

5. Signature and Seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson
-------------------------	-------------------------	----------------------------------

Signature/Thumb impression of the person in whose favour Certificate of Disability is issued.

Annexure – VII

Form-VII Certificate of Disability
(In cases other than those mentioned in Forms V and VI)
(Name and Address of the Medical Authority issuing the
Certificate)
[See rule 18(1)]

Recent passport size
attested photograph
(showing face only) of the
person with disability

Certificate No.

Date:.....

This is to certify that I have carefully examined Shri / Smt / Kum..... son /
 Wife / daughter of Shri Date of Birth (DDD/MM/YY) Age
 years, male / female Registration No. permanent resident of House
 No. Ward/Village/Street Post Office
 District State, whose photograph is affixed above,
 and am satisfied that he / she is a case of Disability. His/her extent of percentage
 physical impairment / disability has been evaluated as per guidelines (..... number and date
 of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:

Sl. No.	Disability	Affected Part Of Body	Diagnosis	Permanent Physical Impairment/Mental Disability (in%)
1.	Locomotor disability			
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	#		
7.	Deaf	€		
8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(please strike out the disabilities which are not applicable).

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:

i) not necessary

OR

ii) is recommended / after years months, and
therefore this certificate shall be valid till(DD)/(MM)/(YY)

@ - eg. Left/Right/both

arms/legs # - eg. Single eye

/both/eyes

€ - eg. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence: -

Nature of Document	Date of Issue	Details of Authority Issuing Certificate

(Authorised Signatory of Notified Medical Authority)

(Name and Seal)

Countersigned (Countersignature and seal of the
Chief Medical Officer/Medical
Superintendent/ Head of Government
Hospital, in case the Certificate is issued
by a Medical Authority who is not a
Government Servant (with Seal))

Signature/Thumb
impression of the person in
whose favour certificate of
disability is issued

CSIR - Central Drug Research Institute, Lucknow

Note: In case this Certificate is issued by a Medical Authority who is not a Government Servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District.

Annexure-VIII**Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.**

This is to certify that, we have examined Mr/Ms/Mrs (name of the candidate), S/o /D/o, a resident of (Vill/PO/PS/District/State), aged years, a person with (nature of disability/condition), and to state that he/she has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is / are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid upto (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the Medical Authority)

Signature of Medical Authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic / PMR specialist	Clinical Psychologist / Rehabilitation Psychologist/Psychiatrist/ Special Educator	Neurologist(if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by Chairperson (if any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/ Chief District Medical Officer.....Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place:

Date:

Annexure - IX

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.

I, candidate with (nature of disability / condition) appearing for the (name of the examination) bearing Roll No.a
t

..... (name of the centre) in the District,
(name of the state). My educational qualification is -

1. I do hereby state that..... (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

2. I do hereby undertake that his qualification is In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

(Counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

Place:

Date:

CSIR - Central Drug Research Institute, Lucknow

Annexure-XLetter of Undertaking for Using Own Scribe

I, a candidate with (name of the disability) appearing for the (name of the examination) bearing Roll No. at(name of the centre) in the District, (name of the State/UT). My qualification is

I do hereby state that.....(name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his/her qualification is In case, subsequently it is found that his / her qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with Disability)

Place:

Date:

CSIR - Central Drug Research Institute, Lucknow

Annexure-XICertificate Regarding Physical Limitation of an Examinee to Write

This is to certify that, I have examined Mr./Ms./Mrs..... (name of the candidate with disability), a person with..... (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o, D/oa resident of (Village/District/Sate) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature
 of Chief Medical Officer / Civil Surgeon /
 Medical
 Superintendent of a Government
 Health care
 Institution Name &
 Designation
 Name of Government Hospital / Health Care Centre with Seal

Place:

Date:

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (e.g. Visual impairment – Ophthalmologist, Locomotor disability – Orthopedic specialist / PMR).

CSIR - Central Drug Research Institute, Lucknow

Annexure - XII**Certificate to be Produced by Serving/Retired/Released Armed Forces Personnel for availing the Age Concession for Posts Filled by Direct Recruitment****A. Form of Certificate applicable for Released/Retired Personnel**

It is certified that Rank Namewhose date of birth is

..... has rendered service from to.....in Army/ Navy/ Air Force.

2. He has been released from military services:

% a) on completion of assignment otherwise than

i) by way of dismissal, or

ii) by way of discharge on account of misconduct or inefficiency, or

iii) on his own request, but without earning his pension, or

iv) he has not been transferred to the reserve pending such release

% b) on account of physical disability attributable to Military Service.

% c) on invalidment after putting in at least five years of Military service

3. He is covered under the definition of Ex-Serviceman (Re-employment in Central Civil Services and Posts) Rules, 1979 as amended from time to time

Place:

Date:

CSIR - Central Drug Research Institute, Lucknow

Signature, Name and Designation of the
Competent Authority**

SEAL

%. Delete the paragraph which is not applicable.

B. Form of Certificate for Serving Personnel

(Applicable for serving personnel who are due to be released within one year)

It is certified that No. Rank Name is serving in the Army / Navy / Air Force from

2. He is due for release retirement on completion of his specific period of assignment on

3. No disciplinary case is pending against him.

Place:

Date:

Signature, Name and Designation of the
Competent Authority***

SEAL

Candidate (Serving Personnel) furnishing certificate B as above will have to give the following undertaking:

Undertaking to be given by serving Armed Force personnel who are due to be released within one year

I understand that if selected on the basis of the recruitment/Examination to which this application relates, my appointment will be subject to my producing documentary evidence to the satisfaction of the appointing authority that I have been duly released/retired/discharged from the Armed Forces and that I am entitled to the benefits admissible to Ex-Servicemen in terms of the Ex-Servicemen (Re-employment in Central Civil Service and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time.

Place:

Date:

Signature and Name of Candidate

C. Form of Certificate applicable for Serving ECOs/SSCOs who have already completed their initial assignment and are on extended assignment

It is certified that No. Rank
Name

..... whose date of birth is..... serving in the Army /
Navy / Air
Force from.....

2. He has already completed his initial assignment of five years on..... and is on
extended
assignment till.....

3. There is no objection to his applying for civil employment and he will be released on three
months notice on selection from the date of receipt of offer of appointment.

Place:

Date:

Signature, Name and Designation of the
Competent Authority***

SEAL

CSIR - Central Drug Research Institute, Lucknow